



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226170
CG-DL-E-26032021-226170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 163]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 212(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परंतुक, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv), उपखंड (v) और उपखंड (vi), धारा 35 की उपधारा (1) के पहले और पांचवे परंतुक, धारा 35 की उपधारा (1क), धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 80छ की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) और खंड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख जाएगा, अर्थात् :-

“2ग. धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आवेदन— (1) धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) का अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित प्ररूप में किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (iv) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष ; या

(ii) धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10कख को उक्त परंतुक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) जहां किसी लिखत के अधीन आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, ऐसे बनाए गए या स्थापित किए गए लिखत के आवेदक की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ख) जहां किसी लिखत से अन्यथा आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, आवेदक के बनाए जाने या स्थापना किए जाने के साक्ष्य वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ग) यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार और फर्म या सोसाइटी के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;
- (ङ) धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (च) धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने के आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;
- (छ) जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं ;
- (ज) जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार, कोई कारबार उपक्रम किया जाता है और आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के किसी पूर्ववर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (झ) जहां आवेदक की आय में धारा 11 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार कारबार का लाभ या अभिलाभ शामिल है और आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के पूर्ववर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे कारबार के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ञ) आवेदक के क्रियाकलापों को नोट किया जाए ।

(3) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,—

- (i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;
- (ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(4) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(5) प्ररूप सं. 10क में किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्ररूप सं. 10कग में धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन लिखित में अनुमोदन प्रदान किए गए किसी आदेश को पारित करेगा और उपनियम (1) के खंड (i) के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि प्ररूप सं. 10क को पूर्णतः या भागतः प्रदान न करके या मिथ्या या गलत जानकारी देकर या उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दिए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या उपनियम (3) या उपनियम (4) की अपेक्षाओं का पालन न करके सम्यक् रूप से नहीं भरा गया है, तो उपनियम (5) में यथापेक्षित प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्ररूप सं. 10कग में प्रदान किए गए अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा और उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) और प्ररूप सं. 10कग में दिया गया ऐसा अनुमोदन या ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को ऐसा समझा जाएगा कि उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया है या जारी नहीं किया गया है ।

(7) तारीख 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष के दौरान धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परन्तुक के खंड (iv) के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में, अनंतिम अनुमोदन 1 अप्रैल, 2022 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से प्रभावी होगा ।

(8) उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्ररूप सं. 10कख में किए गए किसी आवेदन की दशा में, धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के अधीन अनुमोदन या अस्वीकृति या रद्द के आदेश को प्ररूप 10कघ में दिया जाएगा और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो ऐसी दशा में, सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा ।

(9) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) प्ररूप, डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा :

- (क) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को प्रस्तुत करके या सत्यापन करके ;
- (ख) धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परन्तुक के अधीन आदेश पारित करके ।

(ii) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररूप या इस प्रकार पारित किए गए आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।”।

3. मूल नियमों के नियम 5ग में,—

(क) उपनियम (1) में,—

- (अ) खंड (i) में, “प्ररूप सं. 3गच-1 में दूसरी प्रति” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, “प्ररूप सं. 3गच” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (आ) खंड (ii) में, “प्ररूप सं. 3गच-2 में दूसरी प्रति” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, “प्ररूप सं. 3गच” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(1क) प्ररूप सं. 3गच को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,—

- (i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;
- (ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(1ख) प्ररूप सं. 3गच को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा-लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(1ग) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) प्ररूप सं. 3गच में प्रस्तुत करके या सत्यापन करके प्ररूप, डाटा संरचना मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ;

(ii) प्रस्तुत किए गए उक्त आवेदन के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।”।

(ग) उपनियम (2) में, “3गच-1” अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “3गच” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (3) में, यथास्थिति, “3गच-1” या “प्ररूप सं. 3गच-2” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “3गच” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ङ) उपनियम (5) में, “3गच-1” या “प्ररूप सं. 3गच-2” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “3गच” अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

4. मूल नियमों में, नियम 5ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5गक. धारा 35 की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक के अधीन सूचना- (1) उक्त उपधारा के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी शोध संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य संस्था या खंड (ii) में निर्दिष्ट कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘आवेदक’ कहा गया है) द्वारा धारा 35 की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक के अधीन दी गई कोई सूचना प्ररूप सं. 10क में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त को की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन, प्ररूप सं. 10क द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा—

(क) जहां किसी लिखत के अधीन आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, उस लिखत की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ख) जहां किसी लिखत से अन्याथा आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, आवेदक के बनाए जाने या स्थापना किए जाने के साक्ष्य वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ग) यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्म और सोसाइटी के रजिस्ट्रार या लोक न्यास और अन्य रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति ;

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्वप्रमाणित प्रति।

(3) प्ररूप सं. 10क को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,—

(i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से।

(4) प्ररूप सं. 10क ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(5) प्ररूप सं. 10क में किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त उपनियम (1) के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) जारी करेगा।

(6) यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि प्ररूप सं. 10क को पूर्णतः या भागतः प्रदान न करके मिथ्या या गलत जानकारी देकर या उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दिए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या उपनियम (3) या उपनियम (4) की अपेक्षाओं का पालन न करके सम्यक् रूप से नहीं भरा गया है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त उपनियम (5) में यथापेक्षित सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसा अनुमोदन या ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को ऐसा समझा जाएगा कि उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया है या जारी नहीं किया गया है।

(7) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) प्ररूप सं. 10क प्रस्तुत करके या सत्यापन करके प्ररूप, डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ;

(ii) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए उक्त प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।”।

5. मूल नियमों के नियम 5च के उपनियम (2) में,—

(i) खंड (क) में, “प्ररूप सं. 3गच-3 में दूसरी प्रति” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, “प्ररूप सं. 3गच में दूसरी प्रति” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(कक) प्ररूप सं. 3गच को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,—

(i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से।

(कख) प्ररूप सं. 3गच को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो आवेदक को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(कग) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) प्ररूप सं. 3गच प्रस्तुत करके या सत्यापन करके प्ररूप, डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ;

(ii) किए गए उक्त आवेदन के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।”।

(iii) खंड (ख) में, “3गच-3” अंक और अक्षर के स्थान पर, “3गच” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (घ) में, “3गच-3” अंक और अक्षर के स्थान पर, “3गच” अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

6. मूल नियमों में, नियम 11क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“11कक. धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन संस्था या निधि के अनुमोदन के लिए अपेक्षा—(1) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन किसी संस्था या निधि (इसे इसमें इसके पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) के अनुमोदन के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित प्ररूप में किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (iv) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष ; या

(ख) धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10कख उक्त परंतुक के अधीन प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) जहां किसी लिखत के अधीन आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ख) जहां किसी लिखत से अन्यथा आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, आवेदक के बनाए जाने या स्थापना किए जाने के साक्ष्य वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ग) यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्म और सोसाइटी के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति ;

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (iv) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति ;

(च) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (iv) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने के आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;

(छ) जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं ;

(ज) आवेदक के क्रियाकलापों को नोट किया जाए ।

(3) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,—

(i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(4) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा-लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(5) प्ररूप सं. 10क में किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्ररूप सं. 10कग में धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के साथ पठित दूसरे परंतुक के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन लिखित में अनुमोदन प्रदान किए गए किसी आदेश को पारित करेगा और उपनियम (1) के खंड (i) के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि प्ररूप सं. 10क को पूर्णतः या भागतः प्रदान न करके या मिथ्या या गलत जानकारी देकर या उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दिए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या उपनियम (3) या उपनियम (4) की अपेक्षाओं का पालन न करके सम्यक् रूप से नहीं भरा गया है, तो उपनियम (5) में यथापेक्षित प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्ररूप सं. 10कग में प्रदान किए गए अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा और उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) और प्ररूप सं. 10कग में दिया गया ऐसा अनुमोदन या ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को ऐसा समझा जाएगा कि उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया है या जारी नहीं किया गया है ।

(7) धारा 80छ के खंड (iv) के पहले परंतुक के उपखंड 5 के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में, अनंतिम अनुमोदन उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से प्रभावी होगा ।

(8) उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्ररूप सं. 10कख में किए गए किसी आवेदन की दशा में, धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परंतुक के साथ पठित दूसरे परंतुक के अधीन अनुमोदन या अस्वीकृति या निरस्त के आदेश को प्ररूप 10कघ में दिया जाएगा और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो ऐसी दशा में, सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा ।

(9) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

(i) डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ।

(क) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को प्रस्तुत करके या सत्यापन करके ;

(ख) धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन आदेश पारित करके ;

(ii) यथास्थिति इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररूप या इस प्रकार पारित किए गए आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।”।

7. मूल नियमों के नियम 17क में, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

“17क. पूर्त या धार्मिक न्यासों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन आदि | (1) पूर्त या धार्मिक न्यासों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पूर्त या धार्मिक न्यास या संस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) के अधीन आवेदन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा अर्थात्

(i) धारा 10 क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (ii) या (iii) या (iv) के अधीन आवेदन के मामले में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजेगा।

(ii) धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (ii) या (iii) या (iv) या (v) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10कख उक्त खंड के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजा जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) जहां किसी लिखत के अधीन आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, ऐसे बनाए गए या स्थापित किए गए लिखत के आवेदक की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ख) जहां किसी लिखत से अन्यथा आवेदक बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, आवेदक के बनाए जाने या स्थापना किए जाने के साक्ष्य वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ग) यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार और फर्म या सोसाइटी के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति ;

- (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, यदि आवेदक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है
- (ङ.) यथास्थिति धारा 12क या धारा 12कख या धारा 12कघ के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रदान करने वाले वर्तमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति;
- (च) धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (छ) धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने के आदेश की स्वप्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;
- (ज) जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित आवेदक के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं ;
- (झ) जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार, कोई कारबार उपक्रम किया जाता है और आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के किसी पूर्ववर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ञ) जहां आवेदक की आय में धारा 11 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार कारबार का लाभ या अभिलाभ शामिल है और आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के पूर्ववर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे कारबार के वार्षिक खातों की स्वप्रमाणित प्रतियां ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों (जो ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक की न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) से संबंधित, जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ;
- (ट) आवेदक के क्रियाकलापों को नोट किया जाए ।

(3) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,--

- (i) यदि आय की विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;
- (ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले किन्हीं मामले में, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(4) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो आवेदक को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(5) प्ररूप सं. 10क में किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्ररूप सं. 10कग में धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन लिखित में अनुमोदन प्रदान किए गए किसी आदेश को पारित करेगा और उपनियम (1) के खंड (i) के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि प्ररूप सं. 10क को पूर्णतः या भागतः प्रदान न करके या मिथ्या या गलत जानकारी देकर या उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दिए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या उपनियम (3) या उपनियम (4) की अपेक्षाओं का पालन न करके सम्यक् रूप से नहीं भरा गया है, तो उपनियम (5) में यथापेक्षित प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्ररूप सं. 10कग में प्रदान किए गए अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा और उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) और प्ररूप सं. 10कग में दिया गया ऐसा अनुमोदन या ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) को ऐसा समझा जाएगा कि उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया है या जारी नहीं किया गया है ।

(7) तारीख 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष के दौरान धारा 12क की उपधारा 1के खंड कग के उपखंड (vi) के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में, अंतिम अनुमोदन 1 अप्रैल, 2022 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से प्रभावी होगा ।

(8) उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्ररूप सं. 10कख में किए गए किसी आवेदन की दशा में, धारा 12कख के खंड (23ग) के नौवें परन्तुक के साथ पठित दूसरे परन्तुक के अधीन अनुमोदन या अस्वीकृति के आदेश को प्ररूप 10कघ में दिया जाएगा और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो ऐसी दशा में, सोलह अंकों का अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यूआरएन) धारा 12कख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा ।

(9) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) :

- (i) प्ररूप, डाटा संरचना, मानक और प्रक्रिया को अधिकथित करेगा :

(क) यथास्थिति, प्ररूप सं. 10क या प्ररूप सं. 10कख को प्रस्तुत करके या सत्यापन करके ;

(ख) धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परन्तुक के अधीन आदेश पारित करके ।

(ii) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररूप या इस प्रकार पारित किए गए आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।”।

(8) मूल नियमों में, नियम 18 ककककक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

18कख धारा 80छ की उपधारा 5 के खंड (viii) और खंड (ix) या धारा 35 की उपधारा (1क) के अधीन विशिष्टियों का विवरण और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना – (1) धारा 80छ की उपधारा 5 के खंड (viii) और खंड (i) या धारा 35 की उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) होगा ।

(2) धारा 80छ की उपधारा 5 के खंड (viii) और खंड (i) या धारा 35 की उपधारा (1क) के अधीन किसी अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी या निधि द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण, प्ररूप संख्या 10खघ में 2021-2022 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वित्तीयवर्ष के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें इंगित रीति में सत्यापित किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्टकर्ता व्यक्ति, किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए प्राप्त राशियों का अवधारण करने हेतु रकमों का योग करते समय,-

- (i) वित्तीयवर्ष के दौरान उस व्यक्ति द्वारा संदत्त उसी प्रकृति के सभी संदानों को विचार में लेगा, और

(ii) उस मामले में जहां संदान एक से अधिक व्यक्ति के नाम में अभिलिखित किया जाता है, संदान के मूल्य को अनुपातिक रूप से निर्धारित करेगा या सभी व्यक्तियों को सभी संदानों के कुल मूल्य को निर्धारित करेगा और जहां दानकर्ताओं द्वारा कोई अनुपात विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, सभी दानकर्ताओं को समान रूप से निर्धारित करेगा ।

- (4) प्ररूप संख्या 10 खघ,- (i) डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा यदि आय की विवरणी को डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ,
- (ii) उस मामले में जो खंड (i) के अंतर्गत नहीं आता, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (5) प्ररूप संख्या 10 खघ उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो निर्धारित को यथाअनुयोज्य धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है ।
- (6) रिपोर्टकर्ता व्यक्ति दानकर्ता को प्ररूप 10 खघ. में धारा 80छ की उपधारा 5 के खंड (ix) और या धारा 35 की उपधारा (1क) खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे दानकर्ता से प्राप्त रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।
- (7) यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली)
- (i)(क) डाटा संरचना, प्ररूप संख्या 10 खघ को प्रस्तुत करने और उसके सत्यापन के मानक और प्रक्रिया, एकल या बहुल, अधिकथित करेगा;
- (ख) प्ररूप 10 खघ में प्रस्तुत किसी गलती को सुधारने या सूचना को जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए सुधार कथन प्रस्तुत करने के प्रक्रिया अधिकथित करेगा, और
- (ग) प्ररूप 10ड. में प्रमाणपत्रों के सृजन और डाउनलोड करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा ।
- (ii) (क) इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप संख्या 10 खघ के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनःप्राप्ति नितियों को विरचित और कार्यान्वयित करने के लिए उत्तरदायी होगा और
- (ख) उसके द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेबपोर्टल से प्ररूप 10 खघ. में प्रमाणपत्रों के सृजन और डाउनलोड के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (8) उपनियम (6) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र उस वित्तीय वर्ष जिस में संदान प्राप्त किया जाता है, के ठीक पूर्ववर्ती 31 मई को या उसके पूर्व दानकर्ता को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।
- (9) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप 10 खघ उस वित्तीय वर्ष जिस में संदान प्राप्त किया जाता है, के ठीक पूर्ववर्ती 31 मई को या उसके पूर्व दानकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा ।

9 परिशिष्ट II में मुख्य नियमों में,-

- (i) प्ररूप 3गच-I, प्ररूप 3गच-II तथा प्ररूप 3गच-III के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप सं. 3गच

(नियम 5ग, नियम 5घ, नियम 5ड और नियम 5च देखें)

रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन

निगमन/गठन के ब्यारे	1	पैन	क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च
	2	धारा कोड < ड्राप डाउन >										
	3	गठन का प्रकार	न्यास	<input type="checkbox"/>	सोसाइटी	<input type="checkbox"/>	धारा 8 कंपनी	<input type="checkbox"/>	कोई अन्य कंपनी	<input type="checkbox"/>	अन्य	<input type="checkbox"/>
	3क	क्या आवेदक किसी लिखत के अधीन स्थापित किया गया है?	हाँ	<input type="checkbox"/>							नहीं	<input type="checkbox"/>
	3ख	निगमन/सृजन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख										
	3ग	रजिस्ट्रीकरण या निगमन संख्या										
	3घ	रजिस्ट्रीकरण/निगमन प्रदान करने वाला प्राधिकारी										
	4	क्या आवेदक दर्पण पोर्टल पर या एफसीआरए अधिनियम के अधीन या आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	हाँ	<input type="checkbox"/>							नहीं	<input type="checkbox"/>
	4क	सुसंगत विधि/पोर्टल										
	4ख	रजिस्ट्रीकरण संख्या										
	4ग	रजिस्ट्रीकरण संख्या की तारीख										
	4घ	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी										
	4ड	तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है										
	5	क्या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii)/(ii क)/(iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदक द्वारा किया गया कोई आवेदन गत समय में अस्वीकार किया गया है?	हाँ	<input type="checkbox"/>							नहीं	<input type="checkbox"/>

मुख्य व्यक्तियों के व्योरे	6क	सभी /लेखक(कों)/संस्थापक(कों)/व्यवस्थापक(कों)/न्यासी(न्यासियों)/समाज के सदस्य शासी परिषद् के सदस्यों/निदेशक(कों)/ शेयरधारकों, जो शेयरधारण का 5% या अधिक धारण करते हैं/पदाधिकारी(पदाधिकारियों)/ के व्योरे :									
		क्रम संख्या	नाम	संबंध	शेयरधारक की दशा में शेयरधारण की प्रतिशतता	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	मोबाइल संख्या	ईमेल पता	
मुख्य व्यक्तियों के व्योरे	6ख	यदि व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति (जैसा पंक्ति 6क में उल्लिखित है) ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे नैसर्गिक व्यक्ति, जो आवेदन की तारीख को ऐसे व्यक्ति के हितधिकारी स्वामी (5% या अधिक) हैं, के निम्नलिखित व्योरे दें :									
		क्रम संख्या	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	हिताधिकारी स्वामित्व की प्रतिशतता				
कार्यचालन संबंधी व्योरे	7	प्रयोगशाला/अनुसंधान सुविधा/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थान, जिसका आवेदक द्वारा प्रबंध/नियंत्रण/प्रशासन किया जा रहा है/उसके स्वामित्वाधीन है, के व्योरे									
		प्रयोगशाला/ अनुसंधान सुविधा/ विश्वविद्यालय / महाविद्यालय/ अन्य संस्था का नाम	क्या धारा 35 के अंतर्गत आती है? (हां/नहीं)	स्थापना वर्ष	क्रियाकलाप की प्रकृति	पता	क्या आवेदक के स्वामित्वाधीन है? (हां/नहीं)	भारसाधक व्यक्ति			
								नाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	विशिष्ट पहचान संख्या
	8	यदि आवेदक की कारबार के लाभ और अभिलाभ प्रकृति की कोई आय है, तो निम्नलिखित व्योरे दें									
		क्या कारबार, न्यास या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक है?	कारबार की प्रकृति	कारबार का पता	क्या अलग-अलग खाता बही रखी गई है?						
		हां/नहीं			हां/नहीं						
	9	आवेदक द्वारा किसी वित्तीय संस्था में, जो बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक है, जिसको आवेदन के समय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) धारित सभी खातों के व्योरे									
		क्र. सं.	वित्तीय संस्था का आईएफएस कोड	वित्तीय संस्था का नाम	खाता संख्या						
10	आवेदक द्वारा धारित सभी भूमि या भवन या दोनों के व्योरे										
	भूमि या भवनों का पता	भूमि या भवनों का वर्ग मीटर में आकार	संदत्त/संदेय क्रय प्रतिफल	अधिग्रहण के समय स्टाम्प मूल्य	अधिग्रहण का ढंग (अर्जित/दान में प्राप्त)	अर्जन की तारीख					
अनुसंधान कर्मचारियों/ सुविधाओं के व्योरे	11	आवेदन की तारीख को आवेदक के कर्मचारियों की कुल संख्या :									
	12	उपरोक्त कर्मचारियों की कुल संख्या में से, आवेदन की तारीख को, वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय अनुसंधान क्रियाकलाप में लगे कर्मचारियों की कुल संख्या :									
	13	आवेदन की तारीख को अनुसंधान संगम के स्वामित्वाधीन अनुसंधान सुविधाओं/आस्तियों के व्योरे :									

	(च) विकसित किए गए नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों, तकनीकों के ब्यौरे :							
	क्र. सं.	प्रवर्ग: नया उत्पाद/ प्रक्रिया/ पद्धति/ तकनीक	शीर्षक	वर्णन	आविष्कारक (आविष्कारकों के नाम)	का आवेदक संगठन के साथ आविष्कारक (कों) का सहयोजन	यदि वाणिज्यीकृत या कार्यान्वित किया गया है तो किस के द्वारा	आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)
	(ङ) विद्यमान उत्पादों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों, तकनीकों में किए गए सुधारों के ब्यौरे :							
	क्र. सं.	प्रवर्ग: नया उत्पाद/ प्रक्रिया/ पद्धति/ तकनीक	शीर्षक	वर्णन	आविष्कारक (आविष्कारकों के नाम)	का आवेदक संगठन के साथ आविष्कारक (कों) का सहयोजन	यदि वाणिज्यीकृत या कार्यान्वित किया गया है तो किस के द्वारा	आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)
	(च) विकसित किए गए नए सिद्धांतों, मॉडल और परिकल्पना के ब्यौरे :							
	क्र. सं.	प्रवर्ग: नया उत्पाद/ प्रक्रिया/ पद्धति/ तकनीक	शीर्षक	वर्णन	लेखक का (लेखकों के नाम)	आवेदक संगठन के साथ लेखक (कों) का सहयोजन	क्या सिद्धांत/ परिकल्पना रूप से स्वीकार की जाती है	आवेदन की तारीख तक अर्जन (रु)
	(छ) आयात प्रतिस्थापन के उत्पादों के ब्यौरे :							
	क. सं.	उत्पाद का वर्णन			आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार हुआ के बारे में संक्षिप्त वर्णन			
सेमिनार, संगोष्ठी आदि के ब्यौरे	17	पूर्व तीन वर्ष के दौरान संगम द्वारा आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि के ब्यौरे						
	क्र. सं.	सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, आदि का विषय	तारीख (तारीखें) जिस को आयोजित किए गए से तक		प्राकलित निधि आवंटन (रु.)	अनुसंधान क्षेत्र या संगम द्वारा किए गए क्रियाकलाप से सुसंगतता		
भविष्य के अनुसंधान परियोजनाओं आदि का विवरण	18	आगामी वर्षों के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यक्रम का विवरण:						
		क्र.सं.	परियोजनाकानाम	परियोजना के आरम्भ की प्रस्तावित तारीख	परियोजना की अवधि	अनुमानित निधि आवंटन	किए जाने वाले अनुसंधान का विवरण	
शैक्षिक गतिविधियों आदि का विवरण	19	आवेदक द्वारा दिए गए शैक्षिक पाठ्यक्रमों का विवरण:						
		क्र.सं.	प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण (क)		(क) में प्रस्तावित किए गए पाठ्यक्रमों को करने वाले छात्रों की कुल संख्या (ख)	(ख)में से, कुल छात्र शोध लगे हुए हैं (ग)		
संपत्ति और देताएं	20	की आय की विवरणी अंतिम निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गयी है, जिसके लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है						
		21 से 28 पंक्ति में विवरण आवेदन की तारीख के अनुसार प्रदान किया जाना है (रूपये में रकम) :					हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

	21	कोर		22	धन / निधि और कोष के अलावा अन्य अधिशेष			
	23	दीर्घकालिक देनदारियां		24	अन्य देनदारियां			
	25	भूमि और भवन		26	अन्य अचल आस्तियां			
	27	धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक रूपों में किए गए निवेश / जमा						
	28	अन्य आस्तियां						
आय का विवरण	29	पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पूर्व के पिछले तीन वर्ष में प्राप्त आय जिसमें आवेदन किया गया है:						
		वर्ष	अनुसंधान प्रयोजनों के लिए प्राप्त दान	अनुसंधान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए प्राप्त दान मिला	अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अनुदान प्राप्त किया	अन्य आय	संपूर्ण आय	
		समग्र निधि	गैर समग्र निधि	समग्र निधि	गैर समग्र निधि			
व्यय विवरण	30	कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पूर्व के पिछले तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित व्यय विवरण प्रदान करें, जिसमें आवेदन किया गया हो						
		क्र.सं.	पिछले वर्ष	वैज्ञानिक / सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकी अनुसंधान के लिए अनुप्रयुक्त रकम	गैर-अनुसंधान गतिविधियों के लिए अनुप्रयुक्त रकम	कुल आवेदन	संगम की वस्तुओं के लिए संचित रकम	

मैं _____, पुत्र/ पुत्री _____, इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार फॉर्म में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।

मैं न्यास/ समाज / गैर लाभ कंपनी की शर्तों में किसी भी परिवर्तन के साथ, या संस्थान को संचालित करने वाले नियमों में, बाद में किसी भी समय यहां संचार करने का कार्य करता/करती हूँ। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस फॉर्म को _____ (पदनाम) के रूप में स्थायी खाता संख्या (पैन) _____ के रूप में दाखिल कर रहा/रही हूँ और मैं इस फॉर्म को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

हस्ताक्षर

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष शोध संगम द्वारा धारा 10 (21) के अधीन छूट का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना। _____

1.	धारा 11 (5) के अधीन विहित नहीं किए गए निवेश के प्रकार										
	<table border="1"> <tr> <th>निवेश की प्रकृति</th> <th>निवेश की रकम (आवेदन की तारीख के अनुसार)</th> <th>निवेश की तारीख</th> <th>निवेश का नामांकित</th> <th>पिछले वर्ष के दौरान निवेश से आय</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	निवेश की प्रकृति	निवेश की रकम (आवेदन की तारीख के अनुसार)	निवेश की तारीख	निवेश का नामांकित	पिछले वर्ष के दौरान निवेश से आय					
निवेश की प्रकृति	निवेश की रकम (आवेदन की तारीख के अनुसार)	निवेश की तारीख	निवेश का नामांकित	पिछले वर्ष के दौरान निवेश से आय							
2.	धारा 13 (3) में निर्दिष्ट संगम में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेश का विवरण रुपये में निवेश का अंकित मूल्य प्रदान करें।										
	<table border="1"> <tr> <th>व्यक्ति</th> <th>अंश (रु.)</th> <th>प्रतिभूति (रु.)</th> <th>कोई अन्य संपत्ति (रु.)</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	व्यक्ति	अंश (रु.)	प्रतिभूति (रु.)	कोई अन्य संपत्ति (रु.)						
व्यक्ति	अंश (रु.)	प्रतिभूति (रु.)	कोई अन्य संपत्ति (रु.)								
इच्छुक व्यक्ति को लाभ	3. आय का कोई भी हिस्सा या संगम की किसी भी संपत्ति का उपयोग या लागू किया गया था, एक तरीके से जिसके परिणामस्वरूप किसी भी इच्छुक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी लाभ, सुविधा या अनुलाभ (चाहे वह पैसे में परिवर्तित हो या न हो) को प्रदान करता है। हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>										
	4. यदि हाँ, तो उपर्युक्त रुपये में लाभ का मूल्य निर्दिष्ट करें। <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										
समझी गई आय हुई	5. धारा 11 (3) के आधार पर संगम की आय मानी जाने वाली रकम, जो धारा 10 (21) के पहले परंतुक के अनुसार लागू होती है। <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										

प्रमाणित है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

जगह _____

हस्ताक्षर _____

तारीख _____

पदनाम _____

पूरा पता _____

फार्म 3 गच भरने के निर्देश

- आवेदक के डेटाबेस के अनुसार नाम, पता और संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- पंक्ति 2 में निम्नलिखित कोड प्रदान किए जाएंगे:

संगठन की प्रकृति	कोड
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (ii) के अधीन अनुसंधान संगम	1
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (ii) के अधीन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान	2
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (iii) के अधीन अनुसंधान संगम	3
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (iii) के अधीन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान	4
धारा 35 की उपधारा (1) के उप-खंड (i) के अधीन कंपनी	5

3. पंक्ति संख्या 3 (ख), 3 (ग) और 3 (घ) को केवल तभी भरना होगा जब पंक्ति संख्या 3 (क) में प्रश्न का उत्तर हां में हो।
4. पंक्ति संख्या 4 में प्रश्न का उत्तर हां में होना चाहिए, यदि आवेदक आयकर अधिनियम के अधीन या दर्पण पोर्टल के साथ या एफसीआरए 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। उत्तर देने के लिए पंक्ति संख्या 4 (क) से 4 (ड) को भरना आवश्यक है यदि पंक्ति 4 में प्रश्न का उत्तर हां है। पंक्ति संख्या 3 (ख), (ग) और (घ) में शामिल निर्गमन / निर्माण / पंजीकरण विवरण यहां प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करना या प्राप्त करना चाहता है तो नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण और निम्नलिखित सारणी के अनुसार एफसीआरए 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण विवरण प्रदान किया जाना चाहिए और:

विधि	आज्ञापक/ गैर-आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण की तारीख क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाले प्राधिकरण	तारीख जिसमें से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क/कक/कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण	आज्ञापक, यदि रजिस्ट्रीकरण हो	रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाले आदेश को संख्या प्रदान की जाए	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विवरण जो रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करता है, अनुदत्त किया जाए	पिछले वर्ष की पहली तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अधीन अनुमोदन	आज्ञापक, यदि अनुमोदित हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की संख्या प्रदान की जानी है	अनुमोदन की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विवरण जो रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करता है, अनुदत्त किया जाए	पिछले वर्ष की पहली तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
डीएसआईआर द्वारा एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में अनुमोदित	आज्ञापक, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की संख्या प्रदान की जानी है	अनुमोदन की तारीख	डीएसआईआर	पिछले वर्ष की पहली तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकृत	आज्ञापक, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	पिछले वर्ष की पहली तारीख जिससे अधिसूचना प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	आज्ञापक यदि एफसीआरए के अधीन रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	आदेश की तारीख	गृहमंत्रालय	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी है
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल की रजिस्ट्रीकरण संख्या	आज्ञापक यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करना या प्राप्त करना चाहता है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी है
अन्य	आज्ञापक यदि आवेदक का आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	समुचित प्राधिकारी	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो

5. पंक्ति संख्या 6ए स्तंभ 6क "संबंध" के लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा:

- क. लेखक
- ख. संस्थापक
- ग. व्यवस्थापक
- घ. न्यासी
- ङ. सोसाइटी के सदस्य
- च. शासी परिषद के सदस्य
- छ. निदेशक
- ज. 5% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक
- झ. शासी परिषद के सदस्य
- ञ. पदाधिकारी

6. पंक्ति 6क, 6ख और 7 में स्तंभ में, विशिष्ट पहचान संख्या, निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

क. यदि पैन या आधार नंबर उपलब्ध है, तो उसे आज्ञापक रूप से भरा होना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरना होगा:

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

ख. यदि पैन या आधार उपलब्ध नहीं है, तो निम्न में से एक भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
करदाता पहचान देश की संख्या जहां व्यक्ति निवास करता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

7. पंक्ति 13 कोड 1, 3 और 5 पंक्ति में 2 के लिए लागू है। लिखत के विवरण के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन किया जाना चाहिए:

- i. संयंत्र व मशीनरी
- ii. भूमि और भवन
- iii. अन्य आस्तियां

8. पंक्ति 14, 15 और 16(क), 16 (ख), 16 (ग), 16 (घ), 16 (ङ), में आवेदक संगठन के साथ सहयोग के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन किया जाना चाहिए:

- i. प्रधान अधिकारी
- ii. निदेशक
- iii. कर्मचारी
- iv. शासी परिषद के सदस्य
- v. पदाधिकारी
- vi. अन्य

9. परियोजना की वर्तमान स्थिति के लिए पंक्ति 14 में, निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना चाहिए:

- i. चल रही है
- ii. पूर्ण

10. पंक्ति 15 में केवल मूल शोध लेखों का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। विषय अध्ययन / समीक्षा / संपादकीय / संपादक को पत्र को प्रस्तुत किए जाने का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

11. कोड 2 या कोड 4 को पंक्ति 2 में चुने जाने पर पंक्ति 19 को भरा जाना है।

12. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित है:

- जहां आवेदक को एक लिखत के अंतर्गत गठित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति;
- जहाँ आवेदक का गठन एक लिखत के अधीन से अन्यथा किया जाता है, आवेदक की रचना, या स्थापना के दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;
- यथास्थिति, कंपनियों के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटी के रजिस्ट्रार या सार्वजनिक न्यासों के रजिस्ट्रार या अन्य रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
- जहां धारा 35 के अधीन पिछला रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत कर दिया गया है, तो अस्वीकरण के आदेश की प्रति (यदि 5 का उत्तर हां है)
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
- धारा 35 के अधीन अनुमोदन देने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
- आवेदक की अनुसंधान गतिविधियों पर एक व्यापक टिप्पण
- पिछले तीन वर्षों के लिए आवेदक के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रति
- पिछले तीन वर्षों के दौरान संदाता की स्व-प्रमाणित प्रति, उनके नाम, पूरा डाक पता और उनमें से प्रत्येक द्वारा आवेदक भुगतान की गई रकम। तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक रकम का भुगतान करने वाले दानदाताओं के पैर या आधार का उल्लेख करें
- आवेदक द्वारा किए गए अनुसंधान गतिविधियों पर टिप्पण

छूट का दावा करने के मामले में उपाबंध भरने के निर्देश 10 (21)

1. पंक्ति 2 में व्यक्तिक रूप से निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना चाहिए:
 - क. आवेदक को संस्थापक
 - ख. कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदक के लिए एक लाख रुपये से अधिक का अभिदाय है
 - ग. हिंदू अविभक्त कुटुम्ब संयुक्त परिवार (एचयूएफ) का कोई भी सदस्य जहां एचयूएफ संस्थापक है
 - घ. आवेदक का प्रबंधक (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो)
 - ङ. संस्थापक के एक संबंधी, प्रबंधक के सदस्य
 - च. कोई समुत्थान जिसमें, क से ङ तक निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का सारवान् हित है।
2. पंक्ति 4 में यदि कोई लाभ निर्दिष्ट किया गया है, तो लाभ, सुख सुविधा या परिलब्धि की प्रकृति का विस्तृत विवरण प्रदान करें।“;

(ii) प्ररूप सं. 10 क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

संपत्ति और दायित्व	10	क्या आय की विवरणी पिछले या पूर्व निर्धारण वर्ष जिसके लिए नियत तारीख समाप्त हो चुकी है, फाइल की गई है	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>		
	आवेदन की तारीख पर पंक्ति 11 से 19 के ब्यौरे प्रदान किया जाना है (रकम रुपये में) :					
	11	कोरपस <input type="text"/>	12	कोरपस से भिन्न निधियां /आरक्षित और अधिशेष <input type="text"/>		
	13	दीर्घकालिक दायित्व <input type="text"/>	14	अन्य दायित्व <input type="text"/>		
	15	भूमि और भवन <input type="text"/>	16	अन्य स्थिर आस्तियां <input type="text"/>		
	17	धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्ररूपों या ढंगों में किए गए विनिधान/निक्षेप <input type="text"/>				
	18	उपरोक्त पंक्ति संख्या 17 में उल्लिखित से भिन्न विनिधान/निक्षेप <input type="text"/>				
19	अन्य आस्तियां <input type="text"/>					
आय के ब्यौरे	20	पूर्व वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है, के अव्यवहित पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में प्राप्त आय:				
		वर्ष	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	अन्य आय
धार्मिक क्रियाकलाप	21 क	क्या निधि या संस्था ने धार्मिक प्रकृति का कोई व्यय अपगत किया है			हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
	21 ख	यदि हाँ, तो कृपया पूर्व वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है, के अव्यवहित पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में प्राप्त आय उपबंधित करें:				
		क्र.सं.	पूर्व वर्ष	कुल आय	धार्मिक प्रकृति का व्यय	कुल आय का प्रतिशत

मैं _____, का पुत्र/पुत्री _____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार फॉर्म में दिए गए ब्यौरे सही और सही हैं।

मैं न्यास / सोसायटी / अलाभकारी कंपनी की निबंधनों या संस्था को शासित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन किए जाने के पश्चात् तत्काल संसूचित करने का वचन देता हूँ। मैं यह और यह घोषणा करता हूँ कि मैं _____ (पदनाम) की क्षमता में इस प्ररूप को भर रहा हूँ, मेरा स्थायी खाता संख्या (पेन) _____ है और मैं इस प्ररूप को फाइल करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

फार्म 10क के लिए निर्देश

- आवेदक के डेटाबेस के अनुसार नाम, पता और संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- धारा 12क /धारा 80छ/ धारा 10(23ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में पंक्ति 2 में निम्नलिखित एक का चयन करें।

1	धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (कग) का उप खंड (i)	01
2	धारा 12क की उपधारा (1) के उपखंड (कग) का उप खंड (vi)	02
3	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (iv) समाविष्ट आवेदकों के लिए)	03
4	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (v) समाविष्ट आवेदकों के लिए)	04
5	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (vi) समाविष्ट आवेदकों के लिए)	05
6	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (i) (धारा 10 के खंड (vi) समाविष्ट आवेदकों के लिए)	06
7	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (iv) समाविष्ट आवेदकों के लिए)	07

8	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (v) समाविष्ट आवेदकों के लिए	08
9	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (vi) समाविष्ट आवेदकों के लिए	09
10	धारा (10) के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iv) (धारा 10 के खंड (viक) समाविष्ट आवेदकों के लिए	10
11	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (i)	11
12	धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक का खंड (iv)	12

धारा 35 की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक के अधीन सूचना के लिए आवेदन, पंक्ति 2 में निम्नलिखित में से एक कोड का चयन करें:

क्र.सं.	प्रवर्ग	धारा 35 की उपधारा (1) के सुसंगत खंड		अनुभाग कोड
1	अनुसंधान संगम	खंड (ii)	वैज्ञानिक अनुसंधान	13
		खंड (iii)	सामाजिक विज्ञान अनुसंधान	14
			सांख्यिकीय अनुसंधान	15
2	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था	खंड (ii)	वैज्ञानिक अनुसंधान	16
		खंड (iii)	सामाजिक विज्ञान अनुसंधान	17
			सांख्यिकीय अनुसंधान	18
3	कंपनी	खण्ड (iiक)	वैज्ञानिक अनुसंधान	19

- यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 11 या 12 का चयन करता है तो पंक्ति 3 (क्रियाकलापों की प्रकृति) में "धार्मिक" विकल्प लागू नहीं होगा।
- यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 13-19 का चयन करता है तो पंक्ति 3 (क्रियाकलापों की प्रकृति) और पंक्ति 5 (उद्देश्यों) को नहीं भरा जाएगा।
- पंक्ति संख्या 4 (ख), 4 (ग) और 4 (घ) को केवल तभी भरना होगा जब पंक्ति संख्या 4 (क) में प्रश्न का उत्तर हां में हो।
- पंक्ति संख्या 5 में "आवेदक के उद्देश्य" के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का चयन किया जाना है:

(i)	धार्मिक
(ii)	निर्धनों को राहत
(iii)	शिक्षा
(iv)	चिकित्सा अनुतोष
(v)	योग
(vi)	पर्यावरण संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्य जीव सहित)
(vii)	स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक रूचि की वस्तुओं का संरक्षण
(viii)	साधारण लोक उपयोगिता की किन्हीं वस्तुओं की उन्नति

- पंक्ति संख्या 7 में प्रश्न का उत्तर हां होना चाहिए, यदि आवेदक दर्पण पोर्टल या एफसीआरए 2010 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है। पंक्ति संख्या 7 (क) से 7 (ड) को भरने की आवश्यकता है, यदि पंक्ति संख्या 7 के प्रश्न का उत्तर हां है। पंक्ति संख्या 4 (ख), (ग) और (घ) में उपबंधित निगमन/सृजन / रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे यहां उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए। यदि आवेदक या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करना चाहता है तो नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या आवेदक द्वारा आज्ञापक रूप से प्रदान की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे प्रदान किए जाने चाहिए और दर्पण पोर्टल तथा एफसीआरए 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार होना चाहिए :

सुसंगत विधि / पोर्टल	समर्थ होना, जब पंक्ति 2 में निम्नलिखित कोड चुने जाएं	आज्ञापक / अनाज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण संख्या।	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	तारीख जिस तारीख से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के खंड (iv)/(v)/(vi)/(viक) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	03 या 04 या 05 या 06	आज्ञापक	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की संख्या	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के ब्यौरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोदन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	01-19	आज्ञापक, यदि धारा 10 (46) के अधीन अधिसूचित किया जाता है	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	वह तारीख जिससे ऐसी अधिसूचना प्रभावी होगी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क/12कक/12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण	01	आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की संख्या उपबंधित की जानी चाहिए	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के व्योरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोदन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण	13-19	आज्ञापक	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	पूर्व वर्ष जिससे अनुमोदन प्रभावी होना है की पहली तारीख
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण	11	आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की संख्या	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के व्योरे जो प्रदान किए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है	वह तारीख जिससे इस तरह का रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	01-19	आज्ञापक यदि एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	आदेश की तारीख	गृह मंत्रालय	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या	01-19	यदि आवेदक या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करना चाहता है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो
अन्य	01-19	आज्ञापक यदि आवेदक का आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण है	रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान की जानी है	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	समुचित प्राधिकारी	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी हो

8. पंक्ति संख्या 9क के स्तंभ "संबंध" के लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा:

- क. लेखक
- ख. संस्थापक
- ग. विन्यासक
- घ. न्यासी
- ङ. समाज के सदस्य
- च. शासी परिषद के सदस्य
- छ. निदेशक
- ज. शेयरधारिता में 1% या अधिक धृति वाले शेयरधारक
- झ. पदाधिकारी

9. पंक्ति 9 क और 9 ख के स्तंभ में, विशिष्ट पहचान संख्या, निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

क. यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है, तो आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाएगा:

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

ख. यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो निम्न में से एक भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
उस देश की करदाता पहचान संख्या जहां वह व्यक्ति निवास करता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक फोटो पहचान संख्या	5
ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

10. पंक्ति संख्या 11 से 20 का भरा जाना अपेक्षित होगा यदि:

(क) यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 02 या 07 या 08 या 09 या 10 या 12 का चयन करता है; या

(ख) यदि आवेदक कोड 01, 03 या 04 या 05 या 06 या 11 का चयन करता है और पंक्ति 10 में विकल्प "नहीं" चुना जाता है।

11. यदि आवेदक पंक्ति 2 में कोड 12 का चयन करता है तो पंक्ति संख्या 21क और 21ख को भरना होगा।

12. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाना अपेक्षित है:

अनुभाग कोड	संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज
01	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति। • जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं हैं) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)।
02	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • जहां आवेदक वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं हैं) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि पंक्ति 10 का उत्तर "नहीं" है तो प्रदान किया जाएगा)। • जहां आवेदक द्वारा धारा 11 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार कारबार किया जाता है और आवेदक वित्तीय वर्ष जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, से पूर्व किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से अधिक नहीं हैं) जिसके लिए ऐसे खाते बनाए गए हैं, से संबंधित ऐसे कारबार करने के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां और प्रति ऐसी अवधि के लिए धारा 44 कख के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति ; • यथास्थिति, धारा 12 क या धारा 12 कक या धारा 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ;

13-19	<ul style="list-style-type: none"> • जहां एक लिखत के अधीन आवेदक सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति; • जहां आवेदक लिखत से अन्यथा सृजित किया जाता है, या स्थापित किया जाता है, आवेदक के कृजन या स्थापन का साक्ष्य वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति; • यथास्थिति कंपनी के रजिस्ट्रार या फर्मों और सोसायटियों के रजिस्ट्रार या लोक न्यास के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाली विद्यमान अधिसूचना की स्व-प्रमाणित प्रति।
-------	---

;

(iii) प्ररूप 10कक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

प्ररूप सं. 10कख

(नियम 2ग या 11कक या 17क देखें)

रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन

निगमन / गठन के ब्यौरे	1	पैन	<input type="text"/>
	2	अनुभाग कोड	<input type="text"/>
	3	क्रियाकलाप की प्रकृति	पूर्ण <input type="checkbox"/> धार्मिक <input type="checkbox"/> धार्मिक सह पूर्ण <input type="checkbox"/>
	4	गठन का प्रकार	न्यास <input type="checkbox"/> सोसाइटी <input type="checkbox"/> कंपनी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
	4क	क्या आवेदक लिखत के अधीन स्थापित किया गया है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
	4ख	निगमन /सृजन / रजिस्ट्रीकरण की तारीख	<input type="text"/>
	4ग	रजिस्ट्रीकरण या निगमन संख्या	<input type="text"/>
	4घ	रजिस्ट्रीकरण / निगमन प्रदान करने वाला प्राधिकरण	
	5	आवेदक के उद्देश्य	
	6	क्या न्यास विलेख में यह खंड अंतर्विष्ट है कि न्यास अप्रतिसंहरणीय है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
अन्य रजिस्ट्रीकरण	7	क्या आवेदक दर्पण पोर्टल पर या एफसीआरए अधिनियम के अधीन या आयकर अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
	7 क	सुसंगत विधि / पोर्टल	
	7 ख	रजिस्ट्रीकरण संख्या।	<input type="text"/>
	7 ग	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	<input type="text"/>
	7 घ	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	
	7 ङ	तारीख जिसमें से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है	<input type="text"/>
	8 क	क्या आवेदक द्वारा पूर्व में किए गए रजिस्ट्रीकरण के किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है?	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
	8 ख	क्या धारा 10 आयकर अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत छूट का दावा करता है	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

प्रमुख व्यक्तियों का विवरण	9क	आवेदन की तारीख को सभी लेखक (कों) /संस्थापक (कों) /विन्यासक (न्यासी) /सोसाइटी के सदस्य /शासी परिषद के सदस्य /निदेशक (कों) /शेयर धारिता में 5% या अधिक धृति वाले शेयरधारक /पदाधिकारी (ओं) के व्यौरे:								
		क्रम सं.	नाम	नातेदारी	शेयरधारक के मामले में हिस्सेदारी का प्रतिशत	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	मोबाइल नंबर	ईमेल पता
प्रमुख व्यक्तियों का विवरण	9ख	यदि (पंक्ति 9क में यथा उल्लिखित) व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति एक व्यष्टि नहीं है तो प्राकृतिक व्यक्तियों के निम्नलिखित व्यौरे उपलब्ध करें जो आवेदन की तारीख को ऐसे व्यक्ति के फायदाग्राही स्वामी (5% या अधिक) हैं								
		क्रम सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	फायदाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत			
परिचालन व्यौरे	10	आवेदक द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/प्रशासित/स्वामित्व वाले स्कूल/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अस्पताल/योग संस्थान/धार्मिक स्थान/किसी अन्य संस्थान के व्यौरे			क्रियाकलाप की प्रकृति	पता	क्या आवेदक के स्वामित्व में है? (हां/नहीं)	प्रभारी व्यक्ति नाम संपर्क सं. ई-मेल आईडी		
	11	यदि आवेदक के पास धारा 11(4) के अर्थ में "न्यास के अधीन संपत्ति" के रूप में कारबार करने का उपक्रम है तो निम्नलिखित व्यौरे उपलब्ध करें								
		कारबार की प्रकृति		कारबार का पता		क्या पृथक लेखा बहियां रखी हैं? हां/नहीं				
	12	यदि आवेदक के पास कारबार के लाभ और अभिलाभ की प्रकृति में कोई आय है, तो निम्नलिखित व्यौरे उपलब्ध करें								
		क्या न्यास या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कारबार प्रासंगिक है? हां/नहीं		कारबार की प्रकृति	कारबार का पता	क्या पृथक लेखा बहियां रखी हैं? हां/नहीं				
13	न्यास या संस्था द्वारा बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में आवेदन करते समय न्यास या संस्था द्वारा रखे गए सभी खातों के व्यौरे जिसमें बैंकिंग (विनियमन) अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित किसी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)									
	क्रम सं.	वित्तीय संस्थान का आईएफएस कोड			वित्तीय संस्थान का नाम		खाता संख्या			
14	आवेदक द्वारा धारित सभी भूमि या भवन या दोनों के व्यौरे									
	भूमि या भवनों का पता		वर्गमीटर में भूमि या भवनों का आकार	क्रय प्रतिफल संदत्त/ संदेय	अर्जन के समय स्टॉम्प मूल्य	अर्जन का मोड (अर्जित/उपहार में प्राप्त)	अर्जन की तारीख			
15	"सामान्य लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के उन्नयन" के मामले में, पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें आवेदन किया गया, के संबंध में निम्नलिखित व्यौरे उपलब्ध करें									
	(i) क्या इसमें व्यापार, वाणिज्य या कारबार करने की प्रकृति के क्रियाकलाप करने या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई उपकरण या शुल्क या कोई अन्य प्रतिफल अंतर्वलित है? हां/नहीं									

		(ii) क्या यह क्रियाकलाप सामान्य लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के किसी ऐसे उन्नयन को करने के वास्तविक रूप में किया गया है ; हां/नहीं					
		(iii) ऐसे क्रियाकलाप से प्राप्तियों के ब्यौरे:					
		क्रम सं.	कुल प्राप्तियां	उपरोक्त संदर्भित क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) से कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत	टिप्पणियां, यदि कोई हों	
आस्तियां	16	क्या पिछले निर्धारण वर्ष, जिसकी देय तारीख समाप्त हो चुकी है, के लिए आयकर विवरणी भरी है				हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	
		आवेदन की तारीख को पंक्ति 17 से पंक्ति 25 में ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएँ (रकम रूप में) :					
	17	कोरपस		18	कोरपस से भिन्न अन्य निधि/ आरक्षित और अधिशेष		
	19	दीर्घकालिक देनदारियां		20	अन्य देनदारियां		
	21	भूमि और भवन		22	अन्य अचल आस्तियां		
	23	धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्ररूप या पद्धतियों में किए गए विनिधान या निक्षेप					
	24	उपरोक्त पंक्ति संख्यांक 17 में उल्लिखित से भिन्न अन्य				विनिधान/निक्षेप	
	25	अन्य आस्तियां					
आय के ब्यौरे	26	पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में प्राप्त आय, जिसमें आवेदन किया गया है :					
		वर्ष	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	अन्य आय	कुल
धार्मिक क्रियाकलाप	27 क	क्या संस्थान या निधि ने कोई धार्मिक प्रकृति का व्यय उपगत किया है				हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	
	27 ख	यदि हां, तो पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों के निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें, जिसमें आवेदन किया गया है :					
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष	कुल आय	धार्मिक प्रकृति का व्यय	कुल आय का प्रतिशत	

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्ररूप में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं।

मैं न्यास या सोसाइटी या गैर-लाभकारी कंपनी की किन्हीं निबंधनों में या संस्था को शासित करने वाले नियमों में इसके पश्चात् किसी समय कोई परिवर्तन होने पर सूचित करने का वचन देता हूँ। मैं यह और घोषणा करता हूँ यह आवेदन.....(पद) की क्षमता में कर रहा हूँ और मेरा स्थायी खाता संख्यांक.....है तथा मैं यह आवेदन करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्ररूप 10कख भरने के लिए अनुदेश

1. आवेदक के डेटाबेस के अनुसार नाम, पता और संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
2. पंक्ति सं. 2 में निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना चाहिए :

1	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (i)	01
2	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (iii)	02

3	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (iv)	03
4	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (v)	04
5	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	05
6	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	06
7	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	07
8	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	08
9	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	09
10	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	10
11	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	11
12	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	12
13	धारा 80छ की उप-धारा (5) के लिए पहले परंतुक का खंड (ii)	13
14	धारा 80छ की उप-धारा (5) के लिए पहले परंतुक का खंड (iii)	14

- यदि आवेदक पंक्ति 2 में, कोड 13 या कोड 14 का चयन करता है तब पंक्ति 3 में "धार्मिक" विकल्प (क्रियाकलापों की प्रकृति) में लागू नहीं होगा।
- पंक्ति संख्यांक 4(ख), 4(ग) और 4(घ) को केवल तभी भरा जाना आवश्यक है जब पंक्ति संख्या 4(क) में प्रश्न का उत्तर हां में हो।
- पंक्ति संख्या 5 में, "आवेदक के उद्देश्य" के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का चयन किया जाए :

- धार्मिक
- निर्धनों को राहत
- शिक्षा
- चिकित्सीय राहत
- योग
- पर्यावरण संरक्षण (जिसमें जलसंभर, वन और वन्य जीव भी हैं)
- स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक हित की वस्तुओं का संरक्षण
- सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का उन्नयन

- पंक्ति संख्यांक 7 में प्रश्न का उत्तर हां होना चाहिए, यदि आवेदक आयकर अधिनियम या दर्पण पोर्टल या एफसीआरए, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। पंक्ति संख्यांक 7(क) से पंक्ति संख्यांक 7(ख) भरी जानी अपेक्षित है, यदि पंक्ति संख्यांक 7 में प्रश्न का उत्तर हां हो। पंक्ति संख्यांक 4(ख), पंक्ति संख्यांक 4(घ) में उपलब्ध ब्यौरे निगमित/सृजित/रजिस्ट्रीकृत यहां उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या करने का आशय रखता है, तब नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक आवेदक द्वारा आज्ञापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में और दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण और एफसीआरए, 2010 के अधीन निम्न सारणी के अनुसार उपलब्ध कराए जाएं :

सुसंगत विधि/पोर्टल	आज्ञापक/गैर-आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रेशन प्रदान करने वाला प्राधिकरण	तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के खंड (iv)/(v)/(vi)/(vिक) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	आज्ञापक, यदि रजिस्ट्रीकृत है	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश का संख्यांक	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की अधिकारिता के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है	पूर्व वर्ष की पहली तारीख जिससे अनुमोदन प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	आज्ञापक, यदि धारा 10(46) के अधीन अधिसूचित है	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	वह तारीख जिससे ऐसी अधिसूचना प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क/कक/कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण	अनिवार्य, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले रजिस्ट्रीकरण आदेश संख्यांक उपलब्ध कराए जाएं	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की अधिकारिता के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है	पूर्व वर्ष की पहली तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण	अनिवार्य, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	पूर्व वर्ष की पहली तारीख जिससे अनुमोदन प्रभावी है

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण	अनिवार्य, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	यदि	अनुमोदन प्रदान करने वाले रजिस्ट्रीकरण आदेश का संख्यांक	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की अधिकारिता के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है	तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	अनिवार्य, यदि एफसीआरए के अधीन रजिस्ट्रीकृत है	यदि	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक उपलब्ध कराया जाए	आदेश की तारीख	गृह मंत्रालय	तारीख, जिससे अनुमोदन प्रभावी है
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	आज्ञापक, यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या आशय रखता है	यदि	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक उपलब्ध कराया जाए	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी है
अन्य	आज्ञापक, यदि आवेदक के पास आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण है	यदि	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक उपलब्ध कराया जाए	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	समुचित प्राधिकरण	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी है

7. पंक्ति संख्यांक 9क के लिए "संबंध", स्तंभ में निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा :

- क. लेखक
- ख. संस्थापक
- ग. व्यवस्थापक
- घ. न्यासी
- ङ. सोसाइटी के सदस्य
- च. शासी परिषद् के सदस्य
- छ. निदेशक
- ज. 5 प्रतिशत या अधिक शेयर धारण करने वाले
- झ. कार्यालय धारक (धारकों)

8. पंक्ति 9क और पंक्ति 9ख में विशिष्ट पहचान संख्यांक के स्तंभ में निम्नलिखित भरा जाना चाहिए :

क. यदि स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक उपलब्ध है तो वही आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाएगा :

पहचान का प्रकार	कोड
स्थायी खाता संख्यांक	1
आधार संख्यांक	2

ख. यदि न तो स्थायी खाता संख्यांक और न ही आधार संख्यांक उपलब्ध हों, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए :

पहचान का प्रकार	कोड
जहां व्यक्ति निवास करता है उस देश की करदाता पहचान संख्या	3
पासपोर्ट संख्यांक	4
निर्वाचक फोटो पहचान संख्यांक	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्यांक	6
राशन कार्ड संख्यांक	7

9. पंक्ति संख्यांक 10 में, "क्रियाकलाप की प्रकृति" में निम्नलिखित में से एक चयनित किया जाना आवश्यक है :

- क. स्कूल
- ख. महाविद्यालय
- ग. विश्वविद्यालय
- घ. अस्पताल
- ङ. योग संस्थान
- च. धार्मिक संस्थान
- छ. कोई अन्य संस्था

10. पंक्ति संख्यांक 11 और पंक्ति संख्यांक 12 में, "कारबार की प्रकृति" स्तंभ में कारबार कोड भरा जाना चाहिए ।

11. पंक्ति 2 में कोड 13 या 14 का चयन करता है तो पंक्ति संख्यांक 27क और 27ख भरे जाएं ।

12. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने अपेक्षित हैं :

- i. जहां आवेदक किसी लिखत के अधीन सृजित, स्थापित है, वहां लिखत की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ;

- ii. जहां आवेदक किसी लिखत के अधीन से अन्यथा सृजित, स्थापित है, वहां आवेदक के सृजन का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ;
- iii. यथास्थिति, कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसाईटी या लोक न्यास रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ;
- iv. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2020 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;
- v. आयकर अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, यदि कोई हो ;
- vi. जहां वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के पूर्व किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों के दौरान आवेदक के अस्तित्व में रहा है, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों के संबंध में आवेदक के वार्षिक लेखाओं की प्रतिलिपियां ;
- vii. जहां वित्तीय वर्ष के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, आवेदक अस्तित्व में रहा हो, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों के संबंध में आवेदक के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतियां (पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अधिक न हो, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है) जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं ;
- viii. जहां धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार, आवेदक द्वारा कारबार उपक्रम धारित किया गया है और आवेदक, वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां, जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं (जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अनधिक हो) और पंक्ति संख्यांक 2 में 13 या 14 से भिन्न कोड चयन किए जाने की दशा में, ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ;
- ix. जहां धारा 11 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार, आवेदक द्वारा कारबार उपक्रम धारित किया गया है और आवेदक, वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां, जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं (जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अनधिक हो) और पंक्ति संख्यांक 2 में 13 या 14 से भिन्न कोड चयन किए जाने की दशा में, ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ;
- x. दत्तक ग्रहण या उद्देश्यों के उपांतरण की दशा में, जहां पंक्ति संख्यांक 2 में कोड 4 चयन किया जाता है, साक्ष्य देने वाले दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ; और
- xi. न्यास या संस्था या निधि के क्रियाकलापों पर टिप्पण ।

प्ररूप संख्यांक 10कग

(नियम 2ग या नियम 11कक या 17क नियम देखिए)

रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन के लिए आदेश

1.	आवेदक का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)	
2.	आवेदक का नाम और पता	
3.	दस्तावेज पहचान संख्यांक	
4.	आवेदन संख्यांक	
5.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन संख्यांक या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन संख्यांक (विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)	
6.	धारा/उपधारा/खंड/उपखंड/परंतुक जिसमें रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है	
7.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन की तारीख	
8.	निर्धारण वर्ष या वर्ष या वर्षों के लिए, जिसके लिए आवेदक रजिस्ट्रीकृत या अनंतिम रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदन या अनंतिम रूप से अनुमोदित है	
<p>9. रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन के लिए आदेश</p> <p>(क) आवेदक के आवेदन और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में लेने के पश्चात्, आवेदक को पंक्ति संख्यांक 10 में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन उपरोक्त संख्यांक 8 पर उल्लिखित निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।</p> <p>(ख) आवेदक के आयकर की कराधेयता या अन्यथा, पर आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथकतः विचार किया जाएगा ।</p> <p>(ग) यह आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा वापस लिए जाने के लिए दायी होगा, यदि पश्चात्वर्ती यह पाया जाता है कि आवेदक के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या वे ऐसी किसी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अधीन यह प्रदान किया गया है, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने रजिस्ट्रीकरण/ अनुमोदन/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया है या यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने आय कर अधिनियम, 1961 में विहित किसी शर्त का उल्लंघन किया है ।</p>		

<p>9. शर्तों, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है :</p> <p>निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-</p> <p>क)</p> <p>ख)</p>
11. अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम

प्ररूप सं. 10कघ

(नियम 2ग या नियम 11कक या नियम 17क देखिए)

रजिस्ट्रीकरण या अस्वीकरण या निरस्त अनुमोदन के लिए आदेश

1.	आवेदक का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)	
2.	आवेदक का नाम और पता	
3.	दस्तावेज पहचान संख्यांक	
4.	आवेदन संख्यांक	
5.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन संख्यांक (विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)	
6.	धारा/उपधारा/खंड/उपखंड/परंतुक जिसमें रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है	
7.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/ अस्वीकरण /निरस्त की तारीख	
8.	निर्धारण वर्ष या ऐसे वर्ष, जिनके लिए न्यास या संस्था रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित है	
9.	नामंजूर/रद्द करने के कारण, यदि आवेदक का रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन नामंजूर या रद्द किया गया है	
10.	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन को नामंजूर या रद्द करने से आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने की तारीख	

11. रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए आदेश :

- क) आवेदक के आवेदन और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, आवेदक को, पंक्ति संख्या (12) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऊपर क्रम सं. 8 पर उल्लिखित निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- ख) आवेदक की आय की कराधेयता या अन्यथा, पर आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक् रूप से विचार किया जाएगा।
- ग) यह आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा वापस लिए जाने के लिए दायी है, यदि बाद में यह पाया जाता है कि आवेदक के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या यदि वे दी गई उन सभी शर्तों या उनमें से किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जाते हैं, जिनके अधीन रहते हुए यह प्रदान किया गया है, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने तथ्यों का कपट या दुर्व्यपदेशन से अनुमोदन प्राप्त किया है या यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने आय-कर अधिनियम, 1961 में विहित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है।

12. वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है :

अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है :-

ग)

घ)

13. अनुमोदन प्राधिकारी का नाम और पदनाम

(iv) प्ररूप 10खग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप संख्या 10 खघ (नियम 18कख देखें)

[ई-प्ररूप]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1क) के खंड (i) और धारा 80ख की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा फाइल की जाने वाली विशिष्टियों का विवरण

भाग क

रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के, जो दान की रिपोर्ट करता है, ब्यौरे											
1	पैन	क	ख	ग	घ	ङ	1	2	3	4	च
2	रिपोर्टिंग अवधि	व	व	व	व	-	व	व			

भाग ख

दाताओं और दानों के ब्यौरे

क्रम सं	दाता की विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	अनुभाग कोड	दाता का नाम	दाता का पता	दान का प्रकार	प्राप्ति की पद्धति	दान की रकम (भारतीय रुपए)
---------	------------------------------	----------	------------	-------------	-------------	---------------	--------------------	--------------------------

मैं , पुत्र/पुत्री , यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्ररूप में दिए गए ब्यौरे सत्य और सही हैं।

मैं किसी भी समय किए गए किसी भी विवरण को प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस प्ररूप को (पदनाम) की हैसियत से फाइल कर रहा/रही हूँ, मेरा स्थायी खाता संख्या (पैन) है और मैं इस प्ररूप को फाइल करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

हस्ताक्षर

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश :

- यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, रिपोर्ट करने वाले उसी व्यक्ति द्वारा एकाधिक प्ररूप 10कघ फाइल किए जा सकेंगे।
- रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा फाइल की गई नवीनतम आय-कर विवरणी के अनुसार, विवरण फाइल करने वाले रिपोर्टिंग व्यक्ति का पता और संपर्क ब्यौरे स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे और यदि कोई परिवर्तन होता है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को ब्यौरों में परिवर्तन करने का एक विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- धारा कोड में, निम्नलिखित विकल्पों में से वह धारा, जिसके अधीन दाता को दान के लिए कटौती दावा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, भरनी आवश्यक है :
 - धारा 80ख
 - धारा 35(1)(i)क
 - धारा 35(1)(ii)
 - धारा 35(1)(iii)
- "दाता की विशिष्ट पहचान संख्या" में, निम्नलिखित में से एक भरा जाएगा:
 - यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है, तो उनमें से एक अनिवार्य रूप से भरा जाए और निम्नलिखित आईडी कोड भरें :

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

ख. यदि पैन या आधार उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाए :

पहचान का प्रकार	कोड
देश की करदाता पहचान संख्या, जहां व्यक्ति निवास करता है ;	3
पासपोर्ट संख्या ;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

5. "दान प्रकार" में, निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना आवश्यक है :

- क) कोरपस
ख) विनिर्दिष्ट अनुदान
ग) अन्य

6. "प्राप्ति का ढंग" में, निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना आवश्यक है :

क)	नकद रूप में
ख)	वस्तु रूप में
ग)	इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, जिसमें पाने वाले के खाते में देय चैक/ड्राफ्ट भी है
घ)	अन्य

7. ऐसे दाता के मामले में, जिसने ऐसे दान दिए हैं, जो भिन्न-भिन्न धाराओं के अधीन पात्र हैं या जो भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं या भिन्न-भिन्न ढंगों में हैं, ऐसे प्रत्येक संयोजन के लिए पृथक् पंक्तियों को भरना चाहिए।

प्ररूप सं. 10खड

(नियम 18कख देखें)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन दान का प्रमाण पत्र

आदाता	1	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पैन	क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च	
	2	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम											
	3	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पता											
	4	धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाला आदेश संख्या या धारा 35 के अधीन अधिसूचना संख्या (विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या)											
	5	अनुमोदन/अधिसूचना की तारीख											
दाता और दान	6	विशिष्ट पहचान संख्या	पैन	क	ख	ग	घ	ड	1	2	3	4	च
			आधार										
			अन्य										

7	दाता का नाम	
8	दाता का पता	
9	प्राप्त दान की रकम	
10	वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसा दान प्राप्त हुआ था	
11	दान का प्रकार	कोर <input type="checkbox"/> विनिर्दिष्ट अनुदान <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
12	वह धारा, जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र है	धारा 80छ(5)(vi) <input type="checkbox"/> धारा 35(1)(ii) <input type="checkbox"/> धारा 35(1)(iik) <input type="checkbox"/> धारा 35(1)(iii) <input type="checkbox"/>

सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस प्रमाणपत्र को के रूप में अपनी हैसियत से बना रहा हूँ और मैं इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम भी हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या धारण कर रहा हूँ।

तारीख :

हस्ताक्षर :

(iv) फॉर्म नं 56 को विलोपित किया जाएगा।

[अधिसूचना संख्या 19/ 2021 /फा. सं. 370142 / 4 / 2021-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम अधिसूचना संख्या 194(अ) तारीख 16 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

INCOME-TAX

G.S.R. 212(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10, ninth proviso to clause (23C) of section 10, sub-clauses (i) (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A, sub-section (3) of section 12AB, first and fifth proviso to sub-section (1) of section 35, sub-section (1A) of section 35, clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G, third proviso to sub-section (5) of section 80G and clauses (viii) and (ix) of sub-section (5) of section 80G, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (6th Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2C, the following rule shall be substituted, namely: -

“2C. Application for the purpose of grant of approval of a fund or trust or institution or university or any hospital or other medical institution under clause (i) or clause (ii) or clause (iii) or clause (iv) of first proviso to clause (23C) of Section 10. (1) An application under clause (i) or clause (ii) or clause (iii) or clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 for the grant of approval of a fund or trust or institution, or university or other educational institution or any hospital or other medical institution (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in the following Form, namely:-

- (i) *Form No. 10A in case of application under clause (i) or clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 to the Principal Commissioner or Commissioner authorised by the Board; or*
- (ii) *Form No. 10AB in case of application under clause (ii) or clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 to the Principal Commissioner or Commissioner under the said proviso.*

(2) *The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, as required by Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, namely: —*

- (a) *where the applicant is created or established, under an instrument, self-certified copy of such instrument creating or establishing the applicant;*
- (b) *where the applicant is created or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;*
- (c) *self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;*
- (d) *self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;*
- (e) *self-certified copy of existing order granting approval under clause (23C) of section 10;*
- (f) *self-certified copy of order of rejection of application for grant of approval under clause (23C) of section 10, if any;*
- (g) *where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;*
- (h) *where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years*

immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;

- (i) where the income of the applicant includes profits and gains of business as per the provisions of sub-section (4A) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;

- (j) note on the activities of the applicant.

(3) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be furnished electronically, —

- (i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(4) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

(5) On receipt of an application in Form No. 10A, the Principal Commissioner or Commissioner, authorised by the Board shall pass an order in writing granting approval under clause (i) or (iii) of the second proviso read with the ninth proviso to clause (23C) of section 10 in Form No. 10AC and issue a sixteen digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) to the applicants making application as per clause (i) of the sub-rule (1).

(6) If, at any point of time, it is noticed that Form No. 10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rules (1) or (2) or by not complying with the requirements of sub-rules (3) or (4), the Principal Commissioner or Commissioner, as referred to in sub-rule (5), after giving an opportunity of being heard, may cancel the approval granted in Form No. 10AC and Unique Registration Number (URN) issued under sub-rule (5), and such approval in Form No. 10AC or such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been granted or issued.

(7) In case of an application made under clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 during previous year beginning on 1st day of April, 2021, the provisional approval shall be effective from the assessment year beginning on 1st day of April, 2022.

(8) In case of an application made in Form 10AB under clause (ii) of the sub-rule (1), the order of approval or rejection or cancellation under second proviso read with the ninth proviso to clause (23C) of section 10 shall be in form 10AD and in case if the approval is granted, sixteen digit alphanumeric number Unique Registration Number (URN) shall be issued, by the Principal Commissioner or Commissioner referred to in second proviso to clause (23C) of section 10.

(9) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

- (i) lay down the form, data structure, standards and procedure of:

- (a) furnishing and verification of Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be;
- (b) passing the order under second proviso to clause (23C) of section 10.

- (ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the form so furnished or the order so passed.”.

(3) In the principal rules, in rule 5C,-

- (a) In sub-rule (1),-

- (A) in clause (i), for the words, figures and letters “duplicate in Form No. 3CF-F”, the words, figure and letters “Form No. 3CF” shall be substituted;
- (B) in clause (ii), for the words, figures and letters “duplicate in Form No. 3CF-IP”, the words, figure and letters “Form No. 3CF” shall be substituted;

(b) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(1A) Form No. 3CF shall be furnished electronically, —

- (i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(1B) Form No. 3CF shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

(1C) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

- (i) lay down the form, data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No. 3CF;
- (ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said application made.”;

(c) In sub-rule (2), for the figures and letters “3CF-P”, the figure and letters “3CF” shall be substituted;

(d) In sub-rule (3), for the figures, letters and words “3CF-I or, as the case may be, Form No. 3CF-II”, the figure and letters “3CF” shall be substituted;

(e) In sub-rule (5), for the figures, letters and words “3CF-I or Form No. 3CF-IP”, the figure and letters “3CF” shall be substituted.

(4) In the principal rules, after rule 5C, the following rule shall be inserted, namely: -

“5CA **Intimation under Fifth Proviso to sub-section (1) of section 35.** (1). An intimation under fifth proviso to sub-section (1) of section 35 by a research association, university, college or other institution referred to in clause (ii) or clause (iii) or the company referred to in clause (iia) of said sub-section (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in Form No.10A to the Principal Commissioner of Commissioner authorised by the Board.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, as required by Form No.10A, namely:—

- (a) where the applicant is created or established under an instrument, self-certified copy of the instrument;
- (b) where the applicant created or established otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;
- (c) self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;
- (d) self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;
- (e) self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35.

(3) Form No. 10A shall be furnished electronically, —

- (i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;
- (ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(4) Form No. 10A shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

(5) On receipt of an application in Form No. 10A, the Principal Commissioner or Commissioner, authorised by the Board shall issue a sixteen digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) to the applicants making application as per sub-rule (1).

(6) If, at any point of time, it is noticed that Form No.10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rules (1) or (2) or by not complying with the requirements of sub-rules (3) or (4), the

Principal Commissioner or Commissioner, after giving an opportunity of being heard, may cancel the Unique Registration Number (URN) issued under sub-rule (5) and such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been issued.

(7) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

(i) lay down the data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No. 10A; and

(ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said form so furnished.”.

(5) In the principal rules, in rule 5F, in sub-rule (2),-

(i) in clause (a), for the words, figures and letters “duplicate in Form No. 3CF-III”, the words, figure and letters “Form No. 3CF” shall be substituted;

(ii) after clause (a) the following clauses shall be inserted, namely:-

“(aa) Form No. 3CF shall be furnished electronically, —

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;

(ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(ab) Form No. 3CF shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.

(ac) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:

(i) lay down the form, data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No. 3CF;

(ii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said application made.”.

(iii) in clause (b) for the figures and letters “3CF-III”, the figure and letters “3CF” shall be substituted;

(iv) in clause (d), for the figures and letters “3CF-III” the figure and letters “3CF” shall be substituted.

(6) In the principal rules, for rule 11AA, the following rule shall be substituted, namely: -

“11AA . Requirement for approval of institution of fund under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G. (1) An application for approval under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G, the institution or fund (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in the following Form, namely:-

(a) Form No. 10A in case of application under clause (i) or clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G to the Principal Commissioner or Commissioner authorised by the Board; or

(b) Form No. 10AB in case of application under clause (ii) or clause (ii) of first proviso to sub-section (5) of section 80G to the Principal Commissioner or Commissioner authorised under the said proviso.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, as required by Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, namely:—

(a) where the applicant is created, or established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;

(b) where the applicant is created, or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;

- (c) *self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;*
- (d) *self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010(42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;*
- (e) *self-certified copy of existing order granting registration under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G;*
- (f) *self-certified copy of order of rejection of application for grant of approval under clause (vi) of sub-section (5) of section 80G, if any;*
- (g) *where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;*
- (h) *note on the activities of the applicant.*
- (3) *Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be furnished electronically, —*
- (i) *under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;*
- (ii) *through electronic verification code in a case not covered under clause (i).*
- (4) *Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.*
- (5) *On receipt of an application in Form No.10A, the Principal Commissioner or Commissioner, authorised by the Board shall pass an order in writing granting approval under clause (i) or (iii) of the second proviso read with third proviso of sub-section (5) of section 80G in form 10AC and issue a sixteen digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) to the applicants making application as per clause (a) of the sub-rule (1).*
- (6) *If, at any point of time, it is noticed that form 10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rule (1) or (2) or by not complying with the requirements of sub- rule (3) or (4), the Principal Commissioner or Commissioner, as referred to in sub-rule (5), after giving an opportunity of being heard, may cancel the approval granted in Form No. 10AC and Unique Registration Number (URN), issued under sub-rule (5), and such approval or such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been granted or issued.*
- (7) *In case of an application made under clause (iv) of first proviso to sub-section(5) of section 80G, the provisional approval shall be effective from date of order, as referred to in sub- rule (5).*
- (8) *In case of an application made in Form No. 10AB under clause (ii) of the sub-rule (1), the order of approval or rejection or cancellation under second proviso to sub-section (5) of section 80G shall be in Form No. 10AD and in case if the approval is granted, sixteen digit alphanumeric number Unique Registration Number (URN) shall be issued, by the Principal Commissioner or Commissioner referred to in second proviso to sub-section (5) of section 80G.*
- (9) *The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:*
- (i) *lay down the data structure, standards and procedure of ,-*
- (a) *furnishing and verification of Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be;*
- (b) *passing the order under second proviso to sub-section (5) of section 80G.*
- (ii) *be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said application made or order so passed as the case may be.”.*

(7) In the principal rules, for rule 17A, the following rule shall be substituted, namely:-

“17A Application for registration of charitable or religious trusts etc. (1). An application under sub-clause (i) or sub-clause(ii) or sub-clause(iii) or sub-clause(iv) or sub-clause(v) or sub-clause(vi) of clause (ac)of sub-section (1) of section 12A for registration of a charitable or religious trust or institution (hereinafter referred to as 'the applicant') shall be made in the following Form, namely:-

(i) Form No. 10A in case of application under sub-clause (i) or (vi) of clause (ac)of sub-section (1) of section 12A to the Principal Commissioner or Commissioner authorised by the Board; or

(ii) Form No. 10AB in case of application under sub-clause (ii) or (iii) or (iv) or (v) of clause (ac)of sub-section (1) of section 12A to the Principal Commissioner or Commissioner under the said clause.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, as required by Form Nos.10A or 10AB, as the case may be, namely:—

- (a) where the applicant is created, or established, under an instrument, self-certified copy of such instrument creating or establishing the applicant;*
- (b) where the applicant is created, or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant;*
- (c) self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;*
- (d) self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010(42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;*
- (e) self-certified copy of existing order granting registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be;*
- (f) self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be, if any;*
- (g) where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;*
- (h) where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;*
- (i) where the income of the applicant includes profits and gains of business as per the provisions of sub-section (4A) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period;*
- (j) self-certified copy of the documents evidencing adoption or modification of the objects;*
- (k) note on the activities of the applicant.*

(3) Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be furnished electronically, —

- (i) *under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;*
- (ii) *through electronic verification code in a case not covered under clause (i).*
- (4) *Form Nos. 10A or 10AB, as the case may be, shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the applicant.*
- (5) *On receipt of an application in Form No. 10A, the Principal Commissioner or Commissioner, authorised by the Board shall pass an order in writing granting registration under clause (a), or clause (c), of sub-section (1) of section 12AB read with sub-section (3) of the said section in Form No.10AC and issue a sixteen digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) to the applicants making application as per clause (i) of the sub-rule (1).*
- (6) *If, at any point of time, it is noticed that Form No. 10A has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rules (1) or (2) or by not complying with the requirements of sub-rules (3) or (4), the Principal Commissioner or Commissioner, as referred to in sub-rule (5), after giving an opportunity of being heard, may cancel the registration in Form No. 10AC and Unique Registration Number (URN), issued under sub-rule (5), and such registration or such Unique Registration Number (URN) shall be deemed to have never been granted or issued.*
- (7) *In case of an application made under sub-clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A during previous year beginning on 1st day of April, 2021, the provisional registration shall be effective from the assessment year beginning on 1st day of April, 2022.*
- (8) *In case of an application made in Form No. 10AB under clause (ii) of the sub-rule (1), the order of registration or rejection or cancellation of registration under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12AB shall be in Form No.10AD and in case if the registration is granted, sixteen digit alphanumeric number Unique Registration Number (URN) shall be issued by the Principal Commissioner or Commissioner referred to in of sub-section (1) of section 12AB.*
- (9) *The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall:*
- (i) *lay down the form, data structure, standards and procedure of ,-*
- (a) *furnishing and verification of Form Nos. 10A or 10AB ,as the case may be;*
- (b) *passing the order under clause (a), sub-clause (ii) of clause (b) and clause (c) of sub-section (1) of section 12AB.*
- (ii) *be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said application made or order so passed as the case may be.”.*
- (8) In the principal rules, after rule 18AAAAA, the following rule shall be inserted, namely: -
- “18AB. Furnishing of Statement of particulars and certificate under clause (viii) and clause (ix) of sub-section (5) of section 80G or under sub-section (1A) of section 35. (1) For the purpose of clause (viii) of sub-section (5) of section 80G and clause (i) to sub-section (1A) of section 35, the prescribed authority shall be the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) as the case may be.**
- (2) *Statement of particulars required to be furnished by any research association, university, college or other institution or company or fund (hereinafter referred to as reporting person) under clause (viii) of sub-section (5) of section 80G or under clause (i) to sub-section (1A) of section 35 shall be furnished in respect of each financial year, beginning with the financial year 2021-2022, in Form No. 10BD and shall be verified in the manner indicated therein.*

(3) *The reporting person, referred to in sub-rule (2), shall, while aggregating the amounts for determining the sums received for reporting in respect of any person, —*

- (i) *take into account all the donations of the same nature paid by that person during the financial year; and*
- (ii) *proportionately attribute the value of the donation or the aggregated value of all the donations to all the persons, in a case where the donation is recorded in the name of more than one person and where no proportion is specified by the donors, attribute equally to all the donors.*

(4) *Form No. 10BD, shall be furnished electronically,—*

- (i) *under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;*
- (ii) *through electronic verification code in a case not covered under clause (i).*

(5) *Form No. 10BD shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140, as applicable to the assessee.*

(6) *The reporting person shall furnish the certificate as referred to in clause (ix) of sub-section (5) of section 80G or in clause (ii) to sub-section (1A) to section 35, to the donor in Form No. 10 BE specifying the amount of donation received during financial year from such donor, beginning with the financial year 2021-2022.*

(7) *The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall -*

(i) *lay down the, -*

(a) *data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No. 10BD, single or multiple;*

(b) *the procedure to submit correction statement for rectification of any mistake or to add, delete or update the information furnished in Form No. 10BD; and*

(c) *the procedure, formats and standards for the purposes of generation and download of certificates in Form No. 10BE*

(ii) *be responsible for,-*

(a) *formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form No.10BD so furnished; and*

(b) *the day-to-day administration in relation to the generation and download of certificates in Form No. 10BE, from the web portal specified by him or the person authorised by him.*

(8) *The certificate referred to in sub-rule (6) is required to be furnished to the donor on or before the 31stMay, immediately following the financial year in which the donation is received.*

(9) *Form No. 10BD referred to in sub-rule (1) shall be furnished on or before the 31stMay, immediately following the financial year in which the donation is received.”.*

(9) In the principal rules in the APPENDIX II, -

(i) For Form Nos. 3CF-I, 3CF-II and 3CF-III, the following Form shall be substituted, namely: -

"FORM NO. 3CF
(See rules 5C, 5D, 5E and 5F)
Application for registration or approval

Incorporation/constitution details	1	PAN	A	B	C	D	E	1	2	3	4	F	
	2.	Section Code <drop down>											
	3	Type of constitution	Trust	<input type="checkbox"/>	Society	<input type="checkbox"/>	Section 8 company	<input type="checkbox"/>	Any other company	<input type="checkbox"/>	Others	<input type="checkbox"/>	
	3a	Whether the applicant is established under an instrument?	Yes	<input type="checkbox"/>					No	<input type="checkbox"/>			
	3b	Date of Incorporation/Creation/Registration											
	3c	Registration or Incorporation Number											
	3d	Authority Granting Registration/Incorporation											
	4	Whether the applicant is registered on DARPAN portal or under FCRA Act or any provision of Income-tax Act?	Yes	<input type="checkbox"/>					No	<input type="checkbox"/>			
	4a	Relevant Law/Portal											
	4b	Registration No.											
	4c	Date of Registration No.											
	4d	Authority granting registration											
	4e	Date from which registration is effective											
	5	Whether any application for approval u/s 35(1) (ii)/ (ia)/(iii) of Income-tax Act, 1961 made by the applicant in the past has been rejected?	Yes	<input type="checkbox"/>					No	<input type="checkbox"/>			
	Details of key persons	6a	Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of Society/Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s):										
		S.No.	Name	Relation	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	ID code	Address	Mobile number	E-mail address			
Operational details	6b	In case if any of persons (as mentioned in row 6a) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application:											
		S.No.	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Percentage of beneficial ownership						
Operational details	7	Details of laboratory/research facility/ university/college/other institution being managed/controlled/administered/owned by the applicant											
		Name of the laboratory/research facility/ university/college/other institution	Whether covered under section 35?(Yes/No)	Year of establishment	Nature of activity	Address	Whether owned by applicant? (Yes/No)	Person- in - charge					
								Name	Contact-Number	E-mail ID	Unique Identification Number		
Operational details	8	If applicant has any income in the nature of profits and gains of business, then provide the following details											
		Whether the business is incidental to the attainment of the objectives of the trust or institution?	Nature of Business	Address of the business	Whether separate books of account maintained?								
		Yes/No				Yes/No							
Operational details	9	Details of all Accounts held by the applicant at the time of application in a financial institution being a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act)											
		S.No.	IFS Code of the financial institution	Name of the financial institution	Account Number								

	10	Details of all land or buildings or both held by the applicant								
		Address of the land or buildings	Size of land or buildings in square metres	Purchase consideration paid/payable	Stamp value at the time of acquisition	Mode of acquisition (Acquired/gifted)	Date of Acquisition			
Details of research employees/facilities	11	Total number of employees of the applicant as on date of the application:								
	12	Out of the total number of employees above, total number of employees engaged in scientific, social or statistical research activity as on date of the application:								
	13	Details of research facilities/ assets owned by Research Association as on date of the application:								
		S.No.	Description of the equipment	Date of Acquisition	Cost of acquisition					
Details of research Projects	14	Details of research projects undertaken during previous three years:								
		S. No. (i)	Name of the Project (ii)	Name of the Investigator (iii)	Association of Investigators with Applicant Organisation (iv)	Duration of Project From (dd/mm/yyyy) To (dd/mm/yyyy) (v)	Project cost/ estimated project cost in case of ongoing project (Rs.) (vi)	Out of (vi), amount paid to other R&D institution for completion of project (vii)	Date of initiation of Project (viii)	Current status of the Project (ix)
Details of research Articles	15	Details of research articles/ papers published in any eminent national/ international Research Journal during previous three years:								
		S. No.	Title of the Publication *	Name of Authors	Association of authors with Applicant organisation	Name of the Journal	Journal Reference Number (pISSN/ eISSN/ ISBN)	Journal Indexing details	Date/Month of publication (Vol./No./Year)	No. of times cited as on date of the application
Details of Patent or other similar rights	16	Details of patent, copyrights, trademarks or other similar rights applied for or registered in the name of the applicant organisation:								
		(a) Details of patents Applied/granted:								
		S.No.	Title of Invention	Description	Name(s) of the Inventor(s)	Association of the Inventor(s) with the Applicant organisation	Whether Patent applied/patent granted	Patent application Number and date/Patent Number and date	If commercialised or implemented, then by whom	Earnings from patents till date of application(Rs.)
		(b) Details of Details of Copyrights Applied/granted:								
	S.No.	Title of creation for which the copy right has been applied/granted	Description	Name(s) of the Author(s)	Association of the Author(s) with the Applicant organisation	Whether copy Rights applied/Copy rights granted	Copy Rights application Number and date/Copy Right Number and date	If commercialised or implemented, then by whom	Earnings from Copy Rights till date of application (Rs.)	
	(c) Details of trade marks or other similar rights applied/granted:									
	S.No.	Title of Trade marks or other similar	Description	Name(s) of the Inventor(s)	Association of the Inventor(s) with the Applicant	Whether trade marks applied/ Trade	Trade marks Application Number and date/ Trade Mark	If trade mark is commercially used, then by whom	Earnings from trademarks or other similar rights	

	rights			organisation	Marks granted	Number and date		till date of application (Rs.)
(d) Details of new products, processes, methods, techniques developed:								
S.No.	Category: New product/ process/ method/ technique	Title	Description	Name(s) of the Inventor(s)	Association of the Inventor(s) with the Applicant organisation	If commercialised or implemented, then by whom	Earnings till date of application (Rs.)	
(e) Details of improvements made in the existing products, processes, methods, techniques:								
S.No.	Category: New product/ process/ method/ technique	Title	Description	Name(s) of the Inventor(s)	Association of the Inventor(s) with the Applicant organisation	If commercialised or implemented, then by whom	Earnings till date of application (Rs.)	
(f) Details of new theories, models and hypothesis developed:								
S.No.	Category: New product/ process/ method/ technique	Title	Description	Name(s) of the Authors(s)	Association of the Authors(s) with the Applicant organisation	Whether the theory/hypothesis is widely accepted.	Earnings till date of application (Rs.)	
(g) Details of Products of Import Substitution:								
S.No	Description of the Product	Brief Description on How it Resulted in Import Substitution						
17 Details of seminars, conferences, workshops, training courses, etc conducted by the Association during the previous three years:								
S.No.	Subject of the Seminar, Conference, Workshop, Training Course, etc.	Date(s) on which held		Estimated fund allocation (Rs.)	Relevance to the research area or the activity carried out by the Association			
		FROM	TO					
18 Details of programme of research projects to be undertaken during the forthcoming years:								
S.No.	Name of the project	Proposed date of start of project	Duration of project	Estimated fund allocation	Description of research to be undertaken			
19. Details of Educational courses offered by the applicant:								
S. No.	Details of Courses offered (A)			Total number of students pursuing the courses offered at (A) (B)	Out of (B), total number of students engaged in research activities (C)			
20 Has return of income been filed for the last assessment year for which the due date has expired								
							Yes	No
The details in row 21 to 28 are to be provided as on date of application (amount in rupees) :								
21	Corpus		22	Funds/reserves and surplus other than corpus				
23	Long term liabilities		24	Other liabilities				
25	Land and Building		26	Other fixed assets				

	27	Investments/deposits made into one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11							
	28	Other assets							
Income details	29	Income received in three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:							
		Year	Donations Received for Research Purposes		Donation Received for purposes other than research		Grant Received for research purposes	Other income	Total Income
			Corpus	Non Corpus	Corpus	Non Corpus			
Expenditure details	30	Please provide the following expenditure details for three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:							
		S.No.	Previous year	Amount applied for Scientific/Social Science/Statistic Research	Amount applied for non-Research activities	Total Application	Amount accumulated for objects of the Association		

I _____, son/daughter of _____, hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time here after. I further declare that I am filing this form in my capacity as _____ (designation) having Permanent Account Number (PAN) _____ and that I am competent to file this form and verify it.

Date

Signature

ANNEXURE

To be furnished by a research association claiming exemption under section 10(21) Financial Year. _____

	1.	Details of investment made in modes not prescribed under section 11(5)				
		Nature of Investment	Amount of Investment (as on date of the application)	Date of investment	Nominal value of Investment	Income from investment during the last previous year
	2.	Details of investment made by persons having substantial interest in the association as referred to in section 13(3)				
		Provide the nominal value of investment in Rs.				
		Person	Shares (In Rs)	Security (In Rs)	Any other property (In Rs)	
Benefit to interested person	3.	Whether any part of the income or any property of the association was used or applied, in a manner which results directly or indirectly in conferring any benefit, amenity or perquisite (whether converted into money or not) on any interested person. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
	4.	If yes above, specify value of the benefit in Rs.				

Deemed Income	5.	<i>Amount deemed to be income of the association by virtue of section 11(3), as applicable by the first proviso to section 10(21).</i>																			
	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

Place _____
Date _____
Full Address _____

Signature _____
Designation _____

Instructions to fill Form No. 3CF

- The name, address and contact details, as per the database of the applicant, will be displayed on the screen.
- In row 2 the following codes to be provided:

Nature of organisation	Code
Research association as under sub-clause (ii) of sub-section (1) of section 35	1
University, College or other institution as under sub-clause (ii) of sub-section (1) of section 35	2
Research association as under sub-clause (iii) of sub-section (1) of section 35	3
University, College or other institution as under sub-clause (iii) of sub-section (1) of section 35	4
Company as under sub-clause (iia) of sub-section (1) of section 35	5

- Row number 3(b), 3(c) and 3(d) are required to be filled only when the answer to question in row number 3(a) is yes.
- Answer to question in row number 4 should be yes, if the applicant is registered under Income-tax Act or with Darpan portal or under FCRA 2010 (42 of 2010). Row number 4(a) to 4(e) are required to be filled, if the answer to question in row number 4 is yes. Incorporation/Creation/Registration details provided in row number 3(b), (c) and (d) should not be provided here. If the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government then the registration number with Darpan Portal of the Niti Aayog should be mandatorily provided by the applicant. Registration details are to be provided with respect to all the registrations under Income-tax Act and registration with Darpan portal and under FCRA 2010 as per the following table:

Law	Mandatory/ Non-mandatory	Registration No.	Date of Registration No.	Authority granting registration	Date from which registration is effective
Registration u/s 12A/AA/AB of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Order granting registration is to be provided	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the registration is effective
Approval u/s 10(23C) of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if approved	Number of Order granting approval is to be provided	Date of Approval	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the registration is effective
Approved as a Scientific and Industrial Research Organization by DSIR	Mandatory, if registered	Number of Order granting approval is to be provided	Date of Approval	DSIR	First date of the previous year from which the registration is effective
Registration u/s 35 of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	First date of the previous year from which the Notification is effective
FCRA, 2010	Mandatory if registered under FCRA	Registration number is to be provided	Date of Order	Ministry of Home Affairs	Date from which such approval is effective

Registration number with Darpan portal of Niti Aayog	Mandatory if the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government	Registration number is to be provided	Date of registration	Niti Aayog	Date from which such approval is effective
Others	Mandatory if applicant has any other registration under the Income-tax Act	Registration number is to be provided	Date of registration	Appropriate authority	Date from which such approval is effective

5. For row number 6a, column "Relation", one or more of the following shall be selected:

- a. Author
- b. Founder
- c. Settlor
- d. Trustee
- e. Members of society
- f. Members of the Governing Council
- g. Director
- h. Shareholders holding 5% or more of shareholding
- i. Members of the Governing Council
- j. Office Bearer (s)

6. In row 6a, 6b and 7 in the column, unique identification number, the following should be filled:

- a. If PAN or Aadhaar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhaar Number	2

- b. If neither PAN or Aadhaar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides;	3
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

7. Row 13 is applicable for code 1, 3 and 5 in row 2. For description of equipment one of the following options should be selected:

- i. Plant and Machinery
- ii. Land and Building
- iii. Other assets

8. In row 14, 15 and 16(a), 16(b), 16(c), 16(d), 16(e), 16(f) for association with Applicant Organisation, one of the following options should be selected:

- i. Principal Officer
- ii. Director
- iii. Employee
- iv. Members of the Governing Council
- v. Office Bearer (s)
- vi. Others

9. In row 14 for current status of project, one of the following should be selected :

- i. Ongoing
- ii. Completed

10. In row 15 details of only original research articles to be submitted. No details of case study/ reviews/ editorial/ letter to editor/ etc. to be submitted.

11. Row 19 to be filled if code 2 or code 4 selected in row 2.

12. The following documents are required to be attached:
- where the applicant is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument;
 - where the applicant is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant;
 - self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;
 - where past registration under section 35 rejected then copy of order of rejection (if answer to 5 is yes)
 - self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, if the applicant is registered under such Act;
 - self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35;
 - a comprehensive note on research activities of the applicant;
 - self-certified copy of audited annual accounts of the applicant for the last three years;
 - self-certified copy of Donors, along with their names, complete postal address and the amount paid by each of them to the applicant during last three years. Mention PAN or aadhar of donors paying the sums in excess of fifty thousand rupees in any of the three financial years;
 - note on research activities undertaken by the applicant.

Instructions to fill Annexure in case claiming exemption 10 (21)

1. In row 2 in "Person" one of the following should be selected :
 - a. Founder of applicant
 - b. Any person who has made contribution exceeding rupees one lakh to the applicant
 - c. Any member of a Hindu undivided family (HUF) where the HUF is a founder
 - d. The manager (by whatever name called) of the applicant
 - e. A relative of the founder, member of the manager
 - f. Any concern in which any of the persons referred to in a-e have a substantial interest.
2. In row 4 if any benefit has been specified provide a detailed statement of the nature of the benefit, amenity or perquisite."

(ii) For the Form No. 10A, the following Form shall be substituted, namely: -

"FORM NO. 10A
(See rule 2C or 5CA or 11AA or 17A)

Application for registration or provisional registration or intimation or approval or provisional approval

Incorporation/constitution details	1	PAN	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>F</td> </tr> </table>	A	B	C	D	E	1	2	3	4	F
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	F			
	2.	Section Code	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
	3	Nature of activities	Charitable <input type="checkbox"/> Religious <input type="checkbox"/> Religious cum charitable <input type="checkbox"/>										
	4	Type of constitution	Trust <input type="checkbox"/> Society <input type="checkbox"/> Company <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/>										
	4a	Whether the applicant is established under an instrument?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>										
	4b	Date of Incorporation/Creation/Registration	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
	4c	Registration or Incorporation Number	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
4d	Authority Granting Registration/Incorporation												
5	Objects of the applicant												
6	Whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>											
Other registrations	7	Whether the applicant is registered on DARPAN portal or under FCRA Act or any provision of Income-tax Act?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>										
	7a	Relevant Law/Portal											
	7b	Registration No.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
	7c	Date of Registration	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
	7d	Authority granting registration											
	7e	Date from which registration is effective	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
8a	Whether any application for registration made by the applicant in the past has been rejected?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>											
8b	Whether claiming exemption under clause 21 of section 10 of the Income-tax Act	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>											
D et	9a	Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) as on the date of application:											

S.No	Name	Relation	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	ID code	Address	Mobile number	E-mail address		
9b	In case if any of persons (as mentioned in row 9a) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application:									
S.No	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Percentage of beneficial ownership					
10	Has return of income been filed for the last assessment year for which the due date has expired						Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
The details in row 11 to 19 are to be provided as on date of application (amount in rupees) :										
11	Corpus		12	Funds/reserves and surplus other than corpus						
13	Long term liabilities		14	Other liabilities						
15	Land and Building		16	Other fixed assets						
17	Investments/deposits made into one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11									
18	Investments/deposits other than mentioned in row number 17 above									
19	Other assets									
20	Income received in three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:									
Year	Grants received from Central or State Government	Grants received from Companies under Corporate Social Responsibility	Other Specific Grants	Other income	Total					
21a	Whether the fund or the institution has incurred any expenditure of religious nature						Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
21b	If yes, please provide the following details for three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:									
S.No.	Previous year	Total Income	Expenditure of Religious Nature	Percentage to Total Income						

I _____, son/daughter of _____, hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as _____ (designation) having Permanent Account Number (PAN) _____ and that I am competent to file this form and verify it.

Date

Signature

Instructions to fill Form No. 10A

- The name, address and contact details, as per the database of the applicant, will be displayed on the screen.
- Application for registration under section 12A/80G/10(23C) select one of the following code in row 2

1	Sub clause (i) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	01
2	Sub clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	02
3	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	03
4	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	04
5	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	05
6	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	06
7	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	07
8	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	08
9	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered	09

	under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	
10	Clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	10
11	Clause (i) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	11
12	Clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	12

Application for intimation under Fifth proviso to sub-section (1) of section 35, select one of the following code in row 2:

Sr.no	Category	Relevant Clause of sub-section(1) of section 35		Section Code
1.	Research Association	Clause(ii)	Scientific Research	13
		Clause(iii)	Social Science Research	14
			Statistical Research	15
2.	University, college or other institution	Clause(ii)	Scientific Research	16
		Clause(iii)	Social Science Research	17
			Statistical Research	18
3.	Company	Clause(ia)	Scientific Research	19

- If applicant selects code 11 or 12 in row 2 then option "religious" in row 3 (nature of activities) shall not be applicable.
- If applicant selects code 13-19 in row 2 then row 3 (nature of activities) and row 5 (objects) shall not be filled.
- Row number 4(b), 4(c) and 4(d) are required to be filled only when the answer to question in row number 4(a) is yes.
- For the "objects of the applicant" in row number 5, any one or more of the following are to be selected:

(i)	Religious
(ii)	Relief of poor
(iii)	Education
(iv)	Medical relief
(v)	Yoga
(vi)	Preservation of Environment (including watersheds, forests and wildlife)
(vii)	Preservation of Monuments or Places or Objects of Artistic or Historic interest
(viii)	Advancement of any other objects of general public utility

- Answer to question in row number 7 should be yes, if the applicant is registered with Darpan portal or under FCRA 2010. Row number 7(a) to 7(e) are required to be filled, if the answer to question in row number 7 is yes. Incorporation/Creation/Registration details provided in row number 4(b), (c) and (d) should not be provided here. If the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government then the registration number with Darpan Portal of the Niti Aayog should be mandatorily provided by the applicant. Registration details are to be provided with respect to all the registrations under Income-tax Act and registration with Darpan portal and under FCRA 2010 as per the following table:

Relevant Law/Portal	To be enabled when the following codes are selected in row 2	Mandatory/Non-mandatory	Registration No.	Date of Registration	Authority granting registration	Date from which registration is effective
Registration u/s 10(46) of Income-tax Act, 1961	01-19	Mandatory if notified under section 10(46)	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	Date from which such Notification is effective
Registration u/s 12A/AA/AB of Income-tax Act, 1961	01	Mandatory	Number of Order granting registration is to be provided	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the registration is effective
Registration u/s 35 of Income-tax Act, 1961	13-19	Mandatory	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	First date of the previous year from which the Notification is effective

Registration u/s 80G of Income-tax Act, 1961	11	Mandatory	Number of Order granting registration	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	Date from which such registration is effective
FCRA, 2010	01-19	Mandatory if registered under FCRA	Registration number is to be provided	Date of Order	Ministry of Home Affairs	Date from which such approval is effective
Registration number with Darpan portal of Niti Aayog	01-19	Mandatory if the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government	Registration number is to be provided	Date of registration	Niti Aayog	Date from which such approval is effective
Others	01-19	Mandatory if applicant has any other registration under the Income-tax Act	Registration number is to be provided	Date of registration	Appropriate authority	Date from which such approval is effective

8. For row number 9a, column "Relation", one or more of the following shall be selected:

- a. Author
- b. Founder
- c. Settlor
- d. Trustee
- e. Members of society
- f. Members of the Governing Council
- g. Director
- h. Shareholders holding 5% or more of shareholding
- i. Office Bearer (s)

9. In row 9a and 9b, in the column, unique identification number, the following should be filled:

- a. If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhar Number	2

- b. If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides;	3
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

10. Row number 11 to 20 are required to be filled if:

- (a) If applicant selects code 02 or 07/08/09/10 or 12 in row 2; or
- (b) If applicant selects code 01, 03/04/05/06 or 11 and option "no" is selected in row no 10.

11. If applicant selects code 12 in row 2 then row number 21a and 21b are to be filled.

12. The following documents are required to be attached:

Section code	Documents required to be attached
01	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; • self-certified copy of existing order granting registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be. • where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the trust or

	<p>institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if answer to row 10 is "No").</p>
02	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act; • where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self certified copies of the annual accounts of the trust or institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up; • where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period; • self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 12A or section 12AA or section 12AB, as the case may be, if any;
03/04/05/06	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act; • self-certified copy of existing order granting registration under clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act. • where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if answer to row 10 is "No").
07/08/09/10	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act; • where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up; • self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 10(23C), if any;
11	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the applicant is created, or established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; • self-certified copy of existing order granting registration under section 80G of the Income-tax Act. • where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up (to be provided if answer to row 10 is "No").
12	<ul style="list-style-type: none"> • where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; • where the trust is created, or the institution is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation of the trust, or establishment of the institution; • self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; • self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act; • where the applicant or the institution has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self certified copies of the annual accounts of the

	<p>applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;</p> <ul style="list-style-type: none"> self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 80G, if any;
13-19	<ul style="list-style-type: none"> where the reporting person is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument; where the reporting person is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the reporting person; self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010),, if the applicant is registered under such Act; self-certified copy of existing Notification granting approval under section 35.

(iii) after Form No. 10AA the following Forms shall be inserted, namely: -

“FORM NO. 10AB
(See rule 2C or 11AA or 17A)
Application for registration or approval

Incorporation/constitution details	1	PAN	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>F</td> </tr> </table>										A	B	C	D	E	1	2	3	4	F							
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	F																			
	2.	Section Code	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
	3	Nature of activities	Charitable <input type="checkbox"/> Religious <input type="checkbox"/> Religious cum charitable <input type="checkbox"/>																										
	4	Type of constitution	Trust <input type="checkbox"/> Society <input type="checkbox"/> Company <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/>																										
	4a	Whether the applicant is established under an instrument?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																										
	4b	Date of Incorporation/Creation/Registration	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
	4c	Registration or Incorporation Number	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
4d	Authority Granting Registration/Incorporation																												
5	Objects of the applicant																												
6	Whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																											
Other registrations	7	Whether the applicant is registered on DARPAN portal or under FCRA Act or any provision of Income-tax Act?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																										
	7a	Relevant Law/Portal																											
	7b	Registration No.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
	7c	Date of Registration	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
	7d	Authority granting registration																											
	7e	Date from which registration is effective	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
8a	Whether any application for registration made by the applicant in the past has been rejected?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																											
8b	Whether claiming exemption under clause 21 of section 10 of the Income-tax Act	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																											
Details of key persons	9a	<p>Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) as on the date of application:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>S.No</th> <th>Name</th> <th>Relation</th> <th>Percentage of shareholding in case of shareholder</th> <th>Unique Identification Number</th> <th>ID code</th> <th>Address</th> <th>Mobile number</th> <th>E-mail address</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										S.No	Name	Relation	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	ID code	Address	Mobile number	E-mail address									
	S.No	Name	Relation	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	ID code	Address	Mobile number	E-mail address																				
9b	<p>In case if any of persons (as mentioned in row 9a) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>S.No</th> <th>Name</th> <th>Unique Identification Number</th> <th>ID code</th> <th>Address</th> <th>Percentage of beneficial ownership</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										S.No	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Percentage of beneficial ownership													
S.No	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Percentage of beneficial ownership																								
10	<p>Details of school/college/university/hospital/yoga institute/ religious places/any other institution being managed/controlled/administered/owned by the applicant</p>																												
Oper ation																													

	Name of the school/college/university/hospital/yoga institute/religious places/any other institution	Nature of activity	Address	Whether owned by applicant? (Yes/No)	Person- in - charge			
					Name	Contact-Number	E-mail ID	
11	If applicant has business undertaking as “property held under trust” within the meaning of section 11(4), then provide the following details							
	Nature of Business	Address of the business		Whether separate books of account maintained?				
				Yes/No				
12	If applicant has any income in the nature of profits and gains of business, then provide the following details							
	Whether the business is incidental to the attainment of the objectives of the trust or institution?		Nature of Business	Address of the business	Whether separate books of account maintained?			
	Yes/NO				YES/NO			
13	Details of all Accounts held by the trust or institution at the time of application in a financial institution being a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act)							
	S.No.	IFS Code of the financial institution		Name of the financial institution		Account Number		
14	Details of all land or buildings or both held by the applicant							
	Address of the land or buildings	Size of land or buildings in square metres	Purchase consideration paid/payable	Stamp value at the time of acquisition	Mode of acquisition (Acquired/gifted)	Date of Acquisition		
15	In case of “advancement of any other object of general public utility”, please provide the following with respect to the previous year immediately preceding the previous year in which application is made:							
	(i) Whether it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, commerce or business, or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business, for a cess or fee or any other consideration? Yes/No							
	(ii) Whether the activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility; and Yes/No							
	(iii) Details of receipts from such activity:							
	S.No.	Total Receipts	Aggregate Receipts from the Activity(ies) referred above	Percentage to Total Receipts	Remarks, if any			
Assets and liabilities	16	Has return of income been filed for the last assessment year for which the due date has expired				Yes	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	The details in row 17 to 25 are to be provided as on date of application (amount in rupees) :							
	17	Corpus	<input type="text"/>	18	Funds/reserves and surplus other than corpus	<input type="text"/>		
	19	Long term liabilities	<input type="text"/>	20	Other liabilities	<input type="text"/>		
	21	Land and Building	<input type="text"/>	22	Other fixed assets	<input type="text"/>		
	23	Investments/deposits made into one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11						<input type="text"/>
	24	Investments/deposits other than mentioned in row number 17 above						<input type="text"/>
25	Other assets <input type="text"/>							

Income details	26	Income received in three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:						
		Year	Grants received from Central or State Government	Grants received from Companies under Corporate Social Responsibility	Other Specific Grants	Other income	Total	
Religious activities	27a	Whether the fund or the institution has incurred any expenditure of religious nature			Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
	27b	If yes, please provide the following details for three previous years immediately preceding the previous year in which application is made:						
		S.No.	Previous year	Total Income	Expenditure of Religious Nature	Percentage to Total Income		

I _____, son/daughter of _____, hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as _____ (designation) having Permanent Account Number (PAN) _____ and that I am competent to file this form and verify it.

Date

Signature

Instructions to fill Form No. 10AB

- The name, address and contact details, as per the database of the applicant, will be displayed on the screen.
- One of the following should be selected in row number 2:

1	Sub clause (ii) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	01
2	Sub clause (iii) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	02
3	Sub clause (iv) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	03
4	Sub clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	04
5	Clause (ii), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	05
6	Clause (ii), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	06
7	Clause (ii), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	07
8	Clause (ii), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	08
9	Clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	09
10	Clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	10
11	Clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	11
12	Clause (iii) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	12
13	Clause (ii) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	13
14	Clause (iii) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	14

- If applicant selects code 13 or 14 in row 2 then option "religious" in row 3 (nature of activities) shall not be applicable.
- Row number 4(b), 4(c) and 4(d) are required to be filled only when the answer to question in row number 4(a) is yes.
- For the "objects of the applicant" in row number 5, any one or more of the following are to be selected:

- Religious
- Relief of poor
- Education
- Medical relief
- Yoga
- Preservation of Environment (including watersheds, forests and wildlife)
- Preservation of Monuments or Places or Objects of Artistic or Historic interest
- Advancement of any other objects of general public utility

- Answer to question in row number 7 should be yes, if the applicant is registered under Income-tax Act or with Darpan portal or under FCRA Act, 2010(42 of 2010). Row number 7(a) to 7(e) are required to be filled, if the answer to question in row number 7 is yes. Incorporation/Creation/Registration details provided in row number 4(b), (c) and (d) should not be provided here. If the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government then the registration number with Darpan Portal of the Niti Aayog should be mandatorily provided by the applicant. Registration details are to be provided with respect to all the registrations under Income-tax Act and registration with Darpan portal and under FCRA 2010 as per the following table:

Relevant Law/Portal	Mandatory/Non-mandatory	Registration No.	Date of Registration	Authority granting registration	Date from which registration is effective
Registration u/s 10(23C) clause (iv)/(v)/(vi)/(via) of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Order granting approval	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the approval is effective
Registration u/s 10(46) of Income-tax Act, 1961	Mandatory if notified under section 10(46)	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	Date from which such Notification is effective
Registration u/s 12A/AA/AB of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Order granting registration is to be provided	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the registration is effective
Registration u/s 35 of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Notification by the Central Government	Date of Notification	Central Government	First date of the previous year from which the Notification is effective
Registration u/s 80G of Income-tax Act, 1961	Mandatory, if registered	Number of Order granting registration	Date of Order	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	Date from which such registration is effective
FCRA, 2010	Mandatory if registered under FCRA	Registration number is to be provided	Date of Order	Ministry of Home Affairs	Date from which such approval is effective
Registration with number with Darpan portal of Niti Aayog	Mandatory if the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government	Registration number is to be provided	Date of registration	Niti Aayog	Date from which such approval is effective
Others	Mandatory if applicant has any other registration under the Income-tax Act	Registration number is to be provided	Date of registration	Appropriate authority	Date from which such approval is effective

7. For row number 9a, column "Relation", one or more of the following shall be selected:

- Author
- Founder
- Settlor
- Trustee
- Members of society
- Members of the Governing Council
- Director
- Shareholders holding 5% or more of shareholding
- Office Bearer (s)

8. In row 9a and 9b, in the column, unique identification number, the following should be filled:

- If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhar Number	2

- If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country	3

where the person resides;	
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

9. In row no 10, in column "Nature of activity", one of the following needs to be selected:
- School
 - College
 - University
 - Hospital
 - Yoga institute
 - religious places
 - any other institution
10. In row no 11 and 12, in the column "nature of business", business code should be filled.
11. If applicant selects code 13 or 14 in row 2 then row number 27a and 27b are to be filled.
12. The following documents are required to be attached:
- where the applicant is created, is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument;
 - where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation of the applicant;
 - self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be;
 - self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act;
 - self-certified copy of existing order granting registration or approval under section 12A or section 12AA or section 12AB or clause (23C) of section 10 or section 80G of the Income-tax Act, as the case may be;
 - self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration under section 12A or section 12AA or section 12AB or clause (23C) of section 10 or section 80G of the Income-tax Act, as the case may be, if any;
 - where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
 - where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period in case where section code is other than 13 or 14 in row number 2;
 - where the income of the applicant includes profits and gains of business as per the provisions of sub-section (4A) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period in case where section code is other than 13 or 14 in row number 2;
 - self-certified copy of the documents evidencing adoption or modification of the objects in case where section code is 4 in row number 2; and
 - note on the activities of the trust or institution or fund.

FORM NO. 10AC

(See rule 2C or 11AA or 17A)

Order for registration or provisional registration or approval or provisional approval

1.	Permanent Account Number (PAN) of the applicant	
2.	Name and address of the applicant	
3.	Document Identification Number	
4.	Application Number	
5.	Registration/Approval Number or the provisional registration/approval number (Unique Registration Number)	
6.	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which registration/approval/provisional registration/provisional approval is being granted	
7.	Date of registration/approval/provisional registration/provisional approval	
8.	Assessment year or years for which the applicant is registered or provisionally registered or approval or provisionally approved	

9. Order for registration/approval/provisional registration/provisional approval:
<p>a) After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted registration/approval/provisional registration/provisional approval for the assessment year(s) mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.</p> <p>b) The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.</p> <p>c) This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the registration/approval/provisional registration/provisional approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.</p>
10. Conditions subject to which registration/approval/provisional registration/provisional approval is being granted:
The approval is granted subject to the following conditions: -
<p>a)</p> <p>b)</p>
11. Name and designation of the approving authority

FORM NO. 10AD

(See rule 2C or 11AA or 17A)

Order for registration or approval or rejection or cancellation

1.	Permanent Account Number (PAN) of the applicant	
2.	Name and address of the applicant	
3.	Document Identification Number	
4.	Application Number	
5.	Registration/Approval Number (Unique Registration Number)	
6.	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which registration/approval is being granted	
7.	Date of registration/approval/registration/cancellation	
8.	Assessment year or years for which the trust or institution is registered or approval	
9.	Reasons of rejection/cancellation, in case if the application for registration/approval has been rejected or cancelled	
10.	Date of opportunity afforded to the applicant before such rejection or cancellation of application for registration/approval	
11. Order for registration/approval:		
<p>a) After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted registration/approval for the assessment year(s), mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number (12).</p> <p>b) The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.</p> <p>c) This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.</p>		
12. Conditions subject to which registration/approval is being granted:		
The approval is granted subject to the following conditions: -		
<p>c)</p> <p>d)</p>		
13. Name and designation of the approving authority		

(iv) after the form 10BC, the following Forms shall be inserted, namely: -

“FORM No. 10BD

(See rule 18AB)

[e-Form]

Statement of particulars to be filed by reporting person under clause (viii) of sub-section (5) of section 80G and clause (i) to sub-section (1A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961

Part A

Details of the reporting person reporting the donations											
1	PAN	A	B	C	D	E	1	2	3	4	F
2	Reporting period	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y			

Part B

Details of the donors and donations

Sl. No.	Unique Identification Number of the donor	ID code	Section code	Name of donor	Address of donor	Donation Type	Mode of receipt	Amount of donation (Indian rupees)

I _____, son/daughter of _____, hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the particulars submitted, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as _____ (designation) having Permanent Account Number (PAN) _____ and that I am competent to file this form and verify it.

Signature

Instructions to fill the form:

- Multiple form 10BD may be filed by the same reporting person, as per the procedures laid down by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be.
- The address and contact details of the reporting person filing the statement, as per the latest Income Tax Return filed by the reporting person, will be displayed on the screen and if there is a change, the reporting person will be provided an option to change the details.
- In section code, the section under which donor is allowed to claim deduction for the donation needs to be filled out of the following options:
 - Section 80G
 - Section 35(1)(ia)
 - Section 35(1)(ii)
 - Section 35(1)(iii)
- In “Unique identification number of the donor”, one of the following shall be filled:
 - If PAN or Aadhaar number is available, one of that should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhaar Number	2

- If neither PAN or Aadhaar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides;	3
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

5. In "Donation type", one of the following needs to be selected:

- Corpus
- Specific grant
- Others

6. In "Mode of receipt", one of the following needs to be selected:

a)	Cash
b)	Kind
c)	Electronic modes including account payee cheque/draft
d)	Others

7. In case of a donor which have given donations, which are eligible under different sections or which are of different types or in different modes, separate rows should be filled for each such combination.

FORM NO. 10BE

(See rule 18AB)

Certificate of donation under clause (ix) of sub-section (5) of section 80G and under clause (ii) to sub-section (1A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961

Donee	1	PAN of the reporting person	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>F</td> </tr> </table>										A	B	C	D	E	1	2	3	4	F																																																															
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	F																																																																											
	2	Name of the reporting person																																																																																			
	3	Address of the reporting person																																																																																			
	4	Order number granting approval under section 80G or Notification number under section 35 (Unique Registration Number)																																																																																			
5	Date of approval/Notification																																																																																				
Donor and donations	6	Unique Identification Number	PAN	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>F</td> </tr> </table>										A	B	C	D	E	1	2	3	4	F	Aadhaar	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																														Other	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																													
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	F																																																																											
	7	Name of Donor																																																																																			
	8	Address of Donor																																																																																			
	9	Amount of donation received																																																																																			
10	Financial year in which such donation was received																																																																																				
11	Type of donation	Corpus <input type="checkbox"/> Specific grants <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/>																																																																																			
12	Section under which donation is eligible for deduction	Section 80G(5)(vi) <input type="checkbox"/> Section 35(1)(ii) <input type="checkbox"/> Section 35(1)(iia) <input type="checkbox"/> Section 35(1)(iii) <input type="checkbox"/>																																																																																			

VERIFICATION

I, son/ daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the certificate is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this certificate in my capacity as _____ and I am also competent to issue this certificate. I am holding permanent account number _____.

Date:

Signature:”;

(iv) Form No. 56 shall be omitted.

[Notification No. 19/2021/ F. No. 370142/4/2021-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 194(E) dated 16th March, 2021.